रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 23 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 2, 1948 शक संवत्) [संख्या 21

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	251–278	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	321–330	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	959-1018	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

औपबन्धिक नियुक्ति/तैनाती

21 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1060/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
351	54400092009	विनोद कुमार पटेल	S/o रमेश सिंह पटेल	गाजीपुर	रमेश सिंह पटेल, 114, ग्राम-शंकरपुर, पोस्ट-ओड़राई, गाजीपुर-275202	रा0आ0चि0, कटिहारी बुजुर्ग, मऊ HWC

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8 समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1061/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
354	54400071618	विपुल विक्रम	S/o महाराज सिंह	मैनपुरी	विपुल विक्रम S/o महाराज सिंह, ग्राम-आठपुरा, पोस्ट-आलूपुरा, मैनपुरी-205285	रा0आ0चि0, सरायअगहत, एटा

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) संबंधित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता संबंधी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तो को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1062/96-आयुष-1-2024-66/2011–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री	पिता / पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल / राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
356	54400049804	प्रीति शर्मा	W/o रोबिन चौधरी	गौतमबुद्ध नगर	प्रीति शर्मा, एफ-703, सेक्टर-137, गौतमबुद्ध नगर-201305	रा0आ0चि0, सुरजन नगर, मुरादाबाद

उक्त नियुक्ति / तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) संबंधित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी / पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता संबंधी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तो को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1063/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
358	54400066634	साक्षी चौहान	W/o नीरज घायलन	सहारनपुर	कटार सिंह, 33, वैशाली विहार, सहारनपुर-247001	रा0आ0चि0, 15 शैय्या रा0आयु0चि0, शुक्रतीर्थ, मुजफ्फरनगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) संबंधित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता संबंधी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी

गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तो को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1064/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
359	54400055753	विवेक गुप्ता	S/o ब्रह्मदीन गुप्ता	संत रविदास नगर	ब्रह्मदीन गुप्ता, ग्राम-नवधन, पोस्ट-उंज, संत रविदास नगर-221308	रा0आ0चि0, मुर्तिया, सोनभद्र

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1065/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
360	54400001229	विनय कुमार तिवारी	S/o श्रवण कुमार तिवारी	गोण्डा	श्रवण कुमार तिवारी, मोहल्ला-जिगीरिया, ग्राम-ख्याजाजोत, थाना-धानेपुर, गोण्डा-271602	रा0आ0चि0, बनकटवा, बलरामपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1066/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री	पिता / पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल / राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
361	54400100266	साक्षी सचान	W/o धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	लखनऊ	धर्मेन्द्र सिंह, 98, डेढ़ा खेड़ा, लखनऊ-226011	रा0आ0चि0, जमालनगर, उन्नाव

उक्त नियुक्ति / तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी / पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तो को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1067/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
364	54400068766	अमित द्विवेदी	S/o अरूण द्विवेदी	झांसी	अरूण द्विवेदी, 117 गांधीधर का टपरा, मानिक चौक, झांसी-284002	रा0आ0चि0, रायबारी, देवरिया

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1068/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
365	54400063594	श्रद्धा उमर	D/o ओम प्रकाश उमर	संत रविदास नगर	ओम प्रकाश उमर, 156, माधोसिंह बाजार, औराई, संत रविदास नगर-221301	रा0आ0चि0, लालपुर, वाराणसी

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तो को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व

अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1069/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
366	54400072811	प्रणव बाजपेयी	S/o गोपाल कृष्ण बाजपेयी	पीलीभीत	जी0के0 बाजपेयी, 418, नई बस्ती, पीलीभीत-262001	रा0आ0चि0, फतेहगंज पूर्वी, बरेली HWC

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1070/96-आयुष-1-2024-66/2011–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री	पिता / पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल / राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
370	54400067846	दीपिका गुप्ता	D/o विनोद कुमार गुप्ता	गोण्डा	विनोद कुमार गुप्ता, पारसपुर शान नगर, पारसपुर, गोण्डा-271504	रा0आ0चि0, भदावल, बस्ती HWC

उक्त नियुक्ति / तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी / पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तो को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1071/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
372	54400088584	सुमेधा गाड़ी	D/o सुरेश कुमार गाड़ी	मेरठ	सुमेधा गाड़ी, 11-7, ओल्ड मोहनपुरी, नियर विकास विहार, मेरठ-250001	रा0आ0चि0, कुन्दरकी, मुरादाबाद

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तो को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1072/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
374	54400053834	नदीम परवेज़	S/o आरिफ हुसैन	रामपुर	नदीम परवेज S/o आरिफ हुसैन, नियर आयशा हास्पिटल, पहाड़ी गेट, रामपुर-244901	रा0आ0चि0, एकता बिहार, मुरादाबाद

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तो को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1073/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
376	54400041671	तरन्नुम	D/o मोहम्मद फारूख अंसारी	वाराणसी	मोहम्मद फारूख अंसारी, 2/1065, साहित्यनाका, मच्छरहट्टा, वाराणसी-221008	रा0आ0चि0, खालिसपुर, जौनपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तो को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1074/96-आयुष-1-2024-66/2011–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री	पिता / पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल / राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
377	54400029785	स्मिता चौरसिया	D/o सुरेश चौरसिया	वाराणसी	सुरेश चौरसिया, मकान नं0-56, सर्वेश्वरी नगर कालोनी, आशापुर, वाराणसी-221007	रा0आ0चि0, दरूनहां, भदोही

उक्त नियुक्ति / तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रमुख होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी / पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तो को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—8 हिन्दी गजट—भाग 1—2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 2, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन कि विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

11 मार्च, 2026 ई0

सं0 4773/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर कोटरा रजवाहा प्रणाली हेतु जनपद-बिजनौर परगना व तहसील-धामपुर के ग्राम-चकराजमल में कुल 0.8310 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1– उपरोक्त अधिनियम की धारा-6 उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्राविधान लागू नही होंगे।

2– भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

3– अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती हैं।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	धामपुर	धामपुर	चकराजमल	779अ, 779ब	0.2100
				816	0.2220
				860अ, 860ब	0.1100
				868 मि0	0.2890
				योग...	**0.8310**

4– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 4774/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर कोटरा रजवाहा प्रणाली हेतु जनपद-बिजनौर परगना व तहसील-धामपुर के ग्राम-मिलक मुकीमपुर में कुल 0.3793 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1– उपरोक्त अधिनियम की धारा-6 उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्राविधान लागू नही होंगे।

2– भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

3– अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती हैं–

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	धामपुर	धामपुर	मिलक मुकीमपुर	243 मि0	0.0178
				244 मि0	0.0948
				246	0.1290
				247 मि0	0.0842
				248मि0	0.0535
				योग–	**0.3793**

4– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 4775/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर

(समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर कोटरा रजवाहा प्रणाली हेतु जनपद-बिजनौर परगना व तहसील-धामपुर के ग्राम-बेरखेड़ा चौहान में कुल 0.2016 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1– उपरोक्त अधिनियम की धारा-6 उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाधात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्राविधान लागू नही होंगे।

2– भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

3– अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती हैं।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	धामपुर	धामपुर	बेरखेड़ा चौहान	53	0.0480
				54मि0	0.0512
				59	0.0640
				62मि0	0.0384
				योग....	**0.2016**

4– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होनें तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 4776/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर कोटरा रजवाहा प्रणाली हेतु जनपद-बिजनौर परगना व तहसील-धामपुर के ग्राम-रायपुर मलूक में कुल 1.1952 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1– उपरोक्त अधिनियम की धारा-6 उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्राविधान लागू नही होंगे।

2– भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

3– अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती हैं–

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	धामपुर	धामपुर	रायपुर मलूक	49	0.0080
				55	0.0608
				58मि0	0.0512
				80	0.0352
				59	0.0352
				79	0.0608
				78	0.1200
				85	0.0544
				222मि0	0.1392
				327	0.0736
				349मि0	0.1392
				347	0.0384
				344	0.200
				345	0.0720
				224	0.1072
				योग.....	**1.1952**

4– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होनें तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

कार्यालय, जिलाधिकारी, कानपुर

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (11)

[अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अधीन]

अधिसूचना

04 मई, 2026 ई0

सं0 281/आठ-अ0जि0(भू0अ0) कानपुर नगर–चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1956/आठ-अ0जि0(भू0अ0) कानपुर नगर, दिनांक 08 दिसम्बर, 2025, लोक प्रयोजन, अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जनपद कानपुर देहात, तहसील-अकबरपुर में एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट एवं बल्क डिस्पैच टर्मिनल की स्थापना हेतु ग्राम-रसूलपुर गोगूमऊ की 0.1243 हे0, सुल्तानपुर पेराजोर की 1.0885 हे0 व लोदीपुर की 0.2116 हे0 भूमि सहित कुल 1.4244 हे0 भूमि अर्जित करने के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0 30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-11 की उप धारा (1) के अधीन जारी की गई और राजकीय गजट में दिनांक 10 जनवरी, 2026 तथा दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान'' में दिनांक 16 जनवरी, 2026 को प्रकाशित की गई थी।

2–उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप धारा (2) के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात कलेक्टर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अधीन घोषणा करते है कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक है और अनुसूची ''ख'' में यथा प्रदत्त ग्राम, तहसील और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये चिन्हित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

3–कलेक्टर अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (2) के अधीन इस आशय की घोषणा प्रकाशन करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिये निर्देश देते है। चूंकि जनपद-कानपुर देहात, तहसील-अकबरपुर में एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट एवं बल्क डिस्पैच टर्मिनल की स्थापना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश के प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है–

अनुसूची ''क''

प्रस्तावित अर्जनाधीन भूमि

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
कानपुर देहात	अकबरपुर	रसूलपुर गोगूमऊ	19	0.0500
			23	0.0440
			36	0.0236
			38ख	0.0067
			योग . .	**0.1243**
		सुल्तानपुर पेराजोर	271	0.4000
			274	0.6810
			327	0.0013
			337ख	0.0062
			योग . .	**1.0885**
		लोदीपुर	1216ख	0.2116
			कुल योग . .	**1.4244**

अनुसूची ''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
कानपुर देहात	अकबरपुर	रसूलपुर गोगूमऊ, सुल्तानपुर, पेराजोर व लोदीपुर	शून्य	शून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है)।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा, अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड, कानपुर नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर,

कानपुर देहात।

DISTRICT, MAGISTRATE, KANPUR NAGAR

FORM-19

[Sub-rule (11) of rule 27]

Declatration by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of section 19 of the Act]

NOTIFICATION

May 04, 2026

No. 281/VIII/A.D.M.(L.A.)Kanpur Nagar–Since the preliminary notification No. 1956/VIII-A.D.M. (L.A.) Kanpur Nagar, Dated December 08, 2025, for the Acquisition of a total of 1.4244 hectares of Land, including 0.1243 hectares of Village-Rasulpur Gogumau, 1.0885 hectares of Sultanpur Perajor and 0.2116 hectares of land of Lodipur, for the establishment of L.P.G. Bottling plant and bulk dispatch terminal in Akbarpur Tehsil of Kanpur Dehat, District by Bharat Petroleum Corporation Limited, was issued under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Official *Gazette* on the dated: January 10, 2026 and published in the daily newspapers "Dainik Jagran and Hindustan" on January 01, 2026.

2. After considering the report submitted in accordance with the provisions of Sub-section (2) of Section-15 of the said Act, the Collector hereby declares under Sub-section (1) of Section 19 of the said Act that he is satisfied that the area of land mentioned in Schedule "A" below is required for public purpose and that no land in the Village, Tehsil and District as provided in Schedule "B" has been earmarked for rehabilitation and resettlement of displaced families (no family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

3. The Collector further directs to publish a declaration to this effect under Sub-section (2) of Section-19 of the said Act along with the publication of the Rehabilitation and Resettlement Plan in brief, Whereas, in the District-Kanpur Dehat, Tehsil-Akbarpur, there is an L.P.G. bottling plant and the Land acquisition for the establishment of the Bulk Dispatch Terminal is not likely to displace any families. Therefore, there is no need to identify any land rehabilitation and resettlement or to publish a summary of the rehabilitation and resettlement plan-

Schedule "A"
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5
				Hectares
Kanpur Dehat	Akbarpur	Resulpur Gogumau	19	0.0500
			23	0.0440
			36	0.0236
			38 Kha	0.0067
			Total . .	**0.1243**
		Sultanpur Perajor	271	0.4000
			274	0.6810
			327	0.0013
			337 Kha	0.0062
			Total . .	**1.0885**
		Lodipur	1216 Kha	0.2116
			Grand Total	**1.4244**

Schedule "B"

(Land marked as settlement area for displace Families)

District	Tehsil	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5
				Hectare
Kanpur Dehat	Akbarpur	Resulpur Gogumau, Sultanpur Perajor & Lodipur	Nil	Nil

(No Family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

Note--A Site Map of the said land can be seen in the Office of Additional District Magistrate (Land Acquisition) 37/17 Westcott Building, Mall Road, Kanpur Nagar.

Collector,
Kanpur Dehat.

पी0एस0यू0पी0–8 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 2, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

उ0प्र0 अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1, सन 1966)

(उ0प्र0 अधिनियम संख्या-7 सन् 2010 द्वारा संशोधित) की धारा-32 (1) के अन्तर्गत

20 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 94/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/गाजीपुर-8–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7 सन् 2010 द्वारा संशोधित) की धारा-32(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा यह विज्ञाप्ति किया जाता है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा ''गाजीपुर-मऊ राज्य मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजीपुर'' अन्तर्गत ग्राम-जमुनादेवा व अन्धऊ का उक्त अधिनियम की धारा-28 के अधीन 65.0544 हे0 भूमि का उ0प्र0 गजट में प्रथम प्रकाशन दिनांक 01 मार्च, 2025 को कराया गया। राजस्व भू-मानचित्र में खसरा संख्या-1021 और 1044 अंकित न होने के कारण उक्त खसरों का रकबा धारा-28 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हो सका था जिसका मिलान जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 के करने पर छूटे हुये खसरों का रकबा ज्ञात हुआ। जिसके अनुसार कुल संशोधित रकबा 65.5644 हेक्टेयर है। जिसमें से नियोजन समिति द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2025 को आपत्तियाँ सुनने के उपरान्त 1.5391 हेक्टेयर भूमि असुधार शुल्क आरोपित करते हुये योजना में समायोजित करने की सहमति तथा 64.0253 हे0 भूमि का अधिग्रहण किये जाने की संस्तुति दी गई है।

परिषद् अधिनियम,1965 की धारा-31(1) की स्वीकृति मा0 परिषद् की 274वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 के मद संख्या-274/28 पर प्रदान की गयी है। उ0प्र0 शासन के पत्र 09/आठ-2-2026-(ई0पत्रा0 संख्या-B-2099/5/26 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 दिनांक 04 फरवरी, 2026 द्वारा परिषद् अधिनियम,1965 की धारा-31 उपधारा-2 के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त ''गाजीपुर-मऊ राज्य मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजीपुर'' के अन्तर्गत ग्राम-जमुनादेवा व अन्धऊ की अर्जित की जानें वाली भूमि का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	ग्राम व परगना व तहसील व जिले का नाम	खसरा संख्या	पार्ट	जोत चकबन्दी आकार पत्र 41-45 के अनुसार क्षेत्रफल	खसरे/खतौनी का कुल क्षेत्रफल	धारा-28 का गजट प्रकाशन दिनांक 01.03.2025, 08.03.2025, 15.03.2025 के अनुसार क्षेत्रफल	नियोजन समिति द्वारा समायोजित क्षेत्रफल	धारा–32 के अन्तर्गत अध्याप्ति किये जाने हेतु क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
1	जमुना देवा	71	प	0.8850	0.8850	0.1216	0.0000	0.1216
2	जमुना देवा	72		0.8620	0.8620	0.8260	0.0040	0.8220
3	जमुना देवा	73		0.4900	0.4900	0.4540	0.0037	0.4503
4	जमुना देवा	74		0.4790	0.4790	0.4790	0.0000	0.4790
5	जमुना देवा	75		0.0480	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
6	जमुना देवा	76		0.7020	0.7020	0.7020	0.0000	0.7020
7	जमुना देवा	77		0.0190	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
8	जमुना देवा	78		0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
9	जमुना देवा	79		0.0170	0.0170	0.0170	0.0000	0.0170
10	जमुना देवा	81		1.0180	1.0180	1.0180	0.0258	0.9922
11	जमुना देवा	82		0.0470	0.0470	0.0470	0.0000	0.0470
12	जमुना देवा	83		1.1500	1.1500	1.0930	0.0000	1.0930
13	जमुना देवा	84		0.0250	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
14	जमुना देवा	85		0.1740	0.1740	0.1740	0.0217	0.1523
15	जमुना देवा	100		0.0440	0.0440	0.0440	0.0000	0.0440
16	जमुना देवा	101		0.0230	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
		योग. .		**5.9990**	**5.9990**	**5.1066**	**0.0552**	**5.0514**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
17	अन्धऊ	50		0.4400	0.4400	0.4400	0.0000	0.4400
18	अन्धऊ	51		0.2190	0.2190	0.2190	0.0000	0.2190
19	अन्धऊ	52		0.0510	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
20	अन्धऊ	53		2.5660	2.5660	2.5660	0.0027	2.5633
21	अन्धऊ	54		0.2990	0.2990	0.2990	0.0000	0.2990
22	अन्धऊ	56		0.4240	0.4240	0.4240	0.0000	0.4240
23	अन्धऊ	57		0.5030	0.5030	0.5030	0.0000	0.5030
24	अन्धऊ	58		0.0200	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
25	अन्धऊ	59		0.4160	0.4160	0.4160	0.0000	0.4160
26	अन्धऊ	60		0.4220	0.4220	0.4220	0.0000	0.4220
27	अन्धऊ	61		0.0210	0.0210	0.0210	0.0000	0.0210
28	अन्धऊ	62		0.0930	0.0930	0.0930	0.0000	0.0930
29	अन्धऊ	63		0.1490	0.1490	0.1490	0.0000	0.1490
30	अन्धऊ	64		0.0480	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
31	अन्धऊ	65		0.0610	0.0610	0.0610	0.0000	0.0610
32	अन्धऊ	66		0.3340	0.3340	0.3340	0.0000	0.3340
33	अन्धऊ	67		0.0890	0.0890	0.0890	0.0000	0.0890
34	अन्धऊ	68		0.0690	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
35	अन्धऊ	69		0.0410	0.0410	0.0410	0.0000	0.0410
36	अन्धऊ	70		0.2940	0.2940	0.2940	0.0000	0.2940
37	अन्धऊ	71		0.2500	0.2500	0.2500	0.0000	0.2500
38	अन्धऊ	72		0.1260	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
39	अन्धऊ	73		0.0280	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
40	अन्धऊ	74		0.0240	0.0240	0.0240	0.0000	0.0240
41	अन्धऊ	75		0.0660	0.0660	0.0660	0.0000	0.0660
42	अन्धऊ	76		0.0250	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
43	अन्धऊ	77		0.1140	0.1140	0.1140	0.0000	0.1140
44	अन्धऊ	78		0.0360	0.0360	0.0360	0.0000	0.0360
45	अन्धऊ	79		0.1100	0.1100	0.1100	0.0000	0.1100
46	अन्धऊ	80		0.1920	0.1920	0.1920	0.0000	0.1920

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
47	अन्धऊ	81		0.1480	0.1480	0.1480	0.0000	0.1480
48	अन्धऊ	82		0.0760	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
49	अन्धऊ	83		0.1900	0.1900	0.1900	0.0226	0.1674
50	अन्धऊ	84		0.1460	0.1460	0.1460	0.0000	0.1460
51	अन्धऊ	85		0.0410	0.0410	0.0410	0.0000	0.0410
52	अन्धऊ	86		0.0630	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
53	अन्धऊ	87		0.4050	0.4050	0.4050	0.0000	0.4050
54	अन्धऊ	88		0.0970	0.0970	0.0970	0.0970	0.0000
55	अन्धऊ	89		0.2840	0.2840	0.2840	0.0191	0.2649
56	अन्धऊ	90		0.1860	0.1860	0.1860	0.0000	0.1860
57	अन्धऊ	91		0.0550	0.0550	0.0550	0.0000	0.0550
58	अन्धऊ	92		0.2530	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
59	अन्धऊ	93		0.2660	0.2660	0.2660	0.0000	0.2660
60	अन्धऊ	94		0.1580	0.1580	0.1580	0.0000	0.1580
61	अन्धऊ	95		0.0850	0.0850	0.0850	0.0000	0.0850
62	अन्धऊ	96		0.2020	0.2020	0.2020	0.0000	0.2020
63	अन्धऊ	97		0.1130	0.1130	0.1130	0.0000	0.1130
64	अन्धऊ	98		0.0650	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
65	अन्धऊ	99		0.0730	0.0730	0.0730	0.0000	0.0730
66	अन्धऊ	100		0.0640	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
67	अन्धऊ	101		0.0400	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
68	अन्धऊ	102		0.0650	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
69	अन्धऊ	103		0.1340	0.1340	0.1340	0.0000	0.1340
70	अन्धऊ	104		0.0860	0.0860	0.0860	0.0000	0.0860
71	अन्धऊ	105		0.0280	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
72	अन्धऊ	106		0.4690	0.4690	0.4690	0.0000	0.4690
73	अन्धऊ	107		0.0840	0.0840	0.0840	0.0000	0.0840
74	अन्धऊ	108		0.0510	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
75	अन्धऊ	121		0.0760	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
76	अन्धऊ	265		0.0290	0.0290	0.0290	0.0006	0.0284

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
77	अन्धऊ	270		0.4000	0.4000	0.4000	0.0096	0.3904
78	अन्धऊ	271		0.3880	0.3880	0.3880	0.0000	0.3880
79	अन्धऊ	272		0.2080	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
80	अन्धऊ	273		0.1260	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
81	अन्धऊ	274		0.0950	0.0950	0.0950	0.0000	0.0950
82	अन्धऊ	275		0.0070	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
83	अन्धऊ	276		0.0950	0.0950	0.0950	0.0000	0.0950
84	अन्धऊ	277		1.1900	1.1900	1.1900	0.0000	1.1900
85	अन्धऊ	278		0.7590	0.7590	0.7590	0.0000	0.7590
86	अन्धऊ	279		0.1750	0.1750	0.1750	0.0000	0.1750
87	अन्धऊ	280		0.1410	0.1410	0.1410	0.0000	0.1410
88	अन्धऊ	281		0.0510	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
89	अन्धऊ	282		0.1180	0.1180	0.1180	0.0000	0.1180
90	अन्धऊ	283		0.1470	0.1470	0.1470	0.0000	0.1470
91	अन्धऊ	284		0.0920	0.0920	0.0920	0.0000	0.0920
92	अन्धऊ	285		0.0650	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
93	अन्धऊ	286		0.1170	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
94	अन्धऊ	287		0.0730	0.0730	0.0730	0.0000	0.0730
95	अन्धऊ	288		0.1580	0.1580	0.1580	0.0000	0.1580
96	अन्धऊ	289		0.1120	0.1120	0.1120	0.0000	0.1120
97	अन्धऊ	290		1.4350	1.4350	1.4350	0.0000	1.4350
98	अन्धऊ	291		0.1330	0.1330	0.1330	0.0000	0.1330
99	अन्धऊ	292		0.7960	0.7960	0.7960	0.0000	0.7960
100	अन्धऊ	293		0.0250	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
101	अन्धऊ	294		0.5800	0.5800	0.5800	0.0000	0.5800
102	अन्धऊ	299		1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	1.1020
103	अन्धऊ	300		0.6890	0.6890	0.6890	0.0000	0.6890
104	अन्धऊ	301		0.0540	0.0540	0.0430	0.0000	0.0430
105	अन्धऊ	302		0.0540	0.0540	0.0440	0.0000	0.0440
106	अन्धऊ	303		0.0560	0.0560	0.0560	0.0000	0.0560

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
107	अन्धऊ	304		0.2070	0.2070	0.1760	0.0000	0.1760
108	अन्धऊ	305		0.1110	0.1110	0.1110	0.0000	0.1110
109	अन्धऊ	306		0.2950	0.2950	0.2950	0.0000	0.2950
110	अन्धऊ	307		0.6700	0.6700	0.6660	0.5290	0.1370
111	अन्धऊ	308		0.8180	0.8180	0.7900	0.0000	0.7900
112	अन्धऊ	313		0.3680	0.3680	0.3680	0.0000	0.3680
113	अन्धऊ	314		0.0940	0.0940	0.0940	0.0000	0.0940
114	अन्धऊ	319		0.1330	0.1330	0.1330	0.0071	0.1259
115	अन्धऊ	320		0.1260	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
116	अन्धऊ	321		0.0190	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
117	अन्धऊ	322		0.6280	0.6280	0.6280	0.0000	0.6280
118	अन्धऊ	948		1.2880	1.2880	1.1530	0.0016	1.1514
119	अन्धऊ	949		0.0580	0.0580	0.0580	0.0000	0.0580
120	अन्धऊ	950		0.5460	0.5460	0.5240	0.0000	0.5240
121	अन्धऊ	951		0.2260	0.2260	0.0660	0.0218	0.0442
122	अन्धऊ	952		2.1680	2.1680	2.1390	0.0000	2.1390
123	अन्धऊ	953		0.6140	0.6140	0.6140	0.0000	0.6140
124	अन्धऊ	954		0.3700	0.3700	0.3700	0.0000	0.3700
125	अन्धऊ	955		0.2790	0.2790	0.2790	0.0000	0.2790
126	अन्धऊ	956		0.2630	0.2630	0.2630	0.0000	0.2630
127	अन्धऊ	957		0.0770	0.0770	0.0770	0.0000	0.0770
128	अन्धऊ	958		0.1210	0.1210	0.1210	0.0000	0.1210
129	अन्धऊ	959		0.3790	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
130	अन्धऊ	960		0.0310	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
131	अन्धऊ	961		0.3640	0.3640	0.3640	0.0000	0.3640
132	अन्धऊ	962		0.1340	0.1340	0.1340	0.0000	0.1340
133	अन्धऊ	963		0.1860	0.1860	0.1860	0.0000	0.1860
134	अन्धऊ	964		0.1540	0.1540	0.1540	0.0000	0.1540
135	अन्धऊ	965		0.1240	0.1240	0.1240	0.0000	0.1240
136	अन्धऊ	966		0.3790	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
137	अन्धऊ	967		0.0970	0.0970	0.0970	0.0000	0.0970
138	अन्धऊ	968		0.0970	0.0970	0.0970	0.0000	0.0970
139	अन्धऊ	969		0.1670	0.1670	0.1670	0.0000	0.1670
140	अन्धऊ	970		0.1220	0.1220	0.1220	0.0000	0.1220
141	अन्धऊ	971		0.1620	0.1620	0.1620	0.0000	0.1620
142	अन्धऊ	972		0.0520	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
143	अन्धऊ	973		0.2700	0.2700	0.2700	0.0000	0.2700
144	अन्धऊ	974		0.3050	0.3050	0.3050	0.0000	0.3050
145	अन्धऊ	975		0.6730	0.6730	0.6730	0.0000	0.6730
146	अन्धऊ	976		0.5170	0.5170	0.5170	0.0000	0.5170
147	अन्धऊ	977		0.1010	0.1010	0.1010	0.0000	0.1010
148	अन्धऊ	978		0.2950	0.2950	0.2950	0.0000	0.2950
149	अन्धऊ	979		0.4090	0.4090	0.4090	0.0000	0.4090
150	अन्धऊ	980		0.2390	0.2390	0.2390	0.0000	0.2390
151	अन्धऊ	981		0.3220	0.3220	0.3220	0.0000	0.3220
152	अन्धऊ	982		1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	1.1450
153	अन्धऊ	983		0.1620	0.1620	0.1620	0.0000	0.1620
154	अन्धऊ	1002		0.0310	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
155	अन्धऊ	1003		1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	1.1500
156	अन्धऊ	1004		0.7590	0.7590	0.7590	0.0000	0.7590
157	अन्धऊ	1005		0.3990	0.3990	0.3990	0.0000	0.3990
158	अन्धऊ	1006		0.0630	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
159	अन्धऊ	1007		0.3390	0.3390	0.3390	0.0000	0.3390
160	अन्धऊ	1008		0.1520	0.1520	0.1520	0.0000	0.1520
161	अन्धऊ	1009		0.8880	0.8880	0.8880	0.0000	0.8880
162	अन्धऊ	1010		0.0520	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
163	अन्धऊ	1011		0.3670	0.3670	0.3670	0.0000	0.3670
164	अन्धऊ	1012		0.2280	0.2280	0.2280	0.0000	0.2280
165	अन्धऊ	1013		0.5230	0.5230	0.5230	0.0000	0.5230
166	अन्धऊ	1014		0.2570	0.2570	0.2570	0.0000	0.2570

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
167	अन्धऊ	1015		0.4820	0.4820	0.4820	0.0000	0.4820
168	अन्धऊ	1016		0.2670	0.2670	0.2670	0.0000	0.2670
169	अन्धऊ	1017		0.3540	0.3540	0.3540	0.0000	0.3540
170	अन्धऊ	1018		0.3990	0.3990	0.3990	0.0000	0.3990
171	अन्धऊ	1019		0.2660	0.2660	0.2660	0.0000	0.2660
172	अन्धऊ	1020		0.0480	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
173	अन्धऊ	1021		0.4060	0.4060	0.4060	0.0000	0.4060
174	अन्धऊ	1022		0.1290	0.1290	0.1290	0.0000	0.1290
175	अन्धऊ	1023		0.1290	0.1290	0.1290	0.0000	0.1290
176	अन्धऊ	1024		0.1600	0.1600	0.1600	0.0000	0.1600
177	अन्धऊ	1025		0.1440	0.1440	0.1440	0.0000	0.1440
178	अन्धऊ	1026		0.1290	0.1290	0.1290	0.0000	0.1290
179	अन्धऊ	1027		0.2630	0.2630	0.2630	0.0000	0.2630
180	अन्धऊ	1028		0.0810	0.0810	0.0810	0.0000	0.0810
181	अन्धऊ	1029		4.0540	4.0540	4.0540	0.7170	3.3370
182	अन्धऊ	1030		0.0360	0.0360	0.0360	0.0000	0.0360
183	अन्धऊ	1031		0.0130	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
184	अन्धऊ	1032		0.0590	0.0590	0.0590	0.0000	0.0590
185	अन्धऊ	1033		0.1700	0.1700	0.1700	0.0000	0.1700
186	अन्धऊ	1034		0.0990	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
187	अन्धऊ	1035		0.0710	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
188	अन्धऊ	1036		1.6460	1.6460	1.6460	0.0000	1.6460
189	अन्धऊ	1037		0.4530	0.4530	0.4530	0.0000	0.4530
190	अन्धऊ	1038		0.0820	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
191	अन्धऊ	1039		0.1420	0.1420	0.1420	0.0000	0.1420
192	अन्धऊ	1040		0.3210	0.3210	0.3210	0.0000	0.3210
193	अन्धऊ	1041		0.0230	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
194	अन्धऊ	1042		0.6890	0.6890	0.6640	0.0000	0.6640
195	अन्धऊ	1043		0.5590	0.5590	0.5380	0.0000	0.5380
196	अन्धऊ	1044		0.1040	0.1040	0.1040	0.0000	0.1040

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर
197	अन्धऊ	1045		1.9910	1.9910	1.9080	0.0396	1.8684
198	अन्धऊ	1114		0.0320	0.0320	0.0320	0.0000	0.0320
199	अन्धऊ	1115		0.0050	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
200	अन्धऊ	1116		0.5980	0.5980	0.5980	0.0000	0.5980
201	अन्धऊ	1117		0.2780	0.2780	0.2780	0.0014	0.2766
202	अन्धऊ	1118		0.4330	0.4330	0.4330	0.0000	0.4330
203	अन्धऊ	1119		0.2220	0.2220	0.2220	0.0000	0.2220
204	अन्धऊ	1120		0.3430	0.3430	0.3170	0.0000	0.3170
205	अन्धऊ	1121		0.7330	0.7330	0.7330	0.0146	0.7184
206	अन्धऊ	1122	प	1.2340	1.2340	0.1707	0.0000	0.1707
207	अन्धऊ	2499 / 287		0.1460	0.1460	0.1460	0.0000	0.1460
208	अन्धऊ	2500 / 289		0.1650	0.1650	0.1650	0.0000	0.1650
209	अन्धऊ	2501 / 290		0.2380	0.2380	0.2380	0.0000	0.2380
210	अन्धऊ	2503 / 290		0.2230	0.2230	0.2230	0.0000	0.2230
211	अन्धऊ	2504 / 291		0.1360	0.1360	0.1360	0.0000	0.1360
212	अन्धऊ	2505 / 278		0.2190	0.2190	0.2190	0.0000	0.2190
213	अन्धऊ	2506 / 291		0.1090	0.1090	0.1090	0.0000	0.1090
214	अन्धऊ	2507 / 87		0.2270	0.2270	0.2270	0.0000	0.2270
215	अन्धऊ	2524 / 300		0.1220	0.1220	0.1220	0.0000	0.1220
216	अन्धऊ	290 / 2502		0.0150	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150
217	अन्धऊ	307 / 2525	प	0.0540	0.0540	0.0532	0.0000	0.0532
218	अन्धऊ	मतरूक		0.2298	0.2298	0.2298	0.0000	0.2298
		योग. .		**62.1068**	**62.1068**	**60.4578**	**1.4839**	**58.9739**
		कुल योग. .		**68.1058**	**68.1058**	**65.5644**	**1.5391**	**64.0253**

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

Uttar Pradesh Housing and Development Board

(Land Acquisition Section)

Notification under Section 32(1) of the U.P. Housing and Development Council Act, 1965

(Act No. 1 of 1966), as amended by U.P. Act No. 7.

NOTIFICATION

April 20, 2026

No. 94/L.A.C./H.Q./Ghazipur-8–Under Section 32(1) of the Uttar Pradesh Housing and Development Council Act, 1965 (Act No. 1 of 1966), as amended by U.P. Act No. 7 of 2010, it is hereby notified that under the "Ghazipur-Mau Rajya Marg Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana, Ghazipur" of the Uttar Pradesh Housing and Development Council, 65.0544 hectares of land situated in Villages Jamunadeva and Andhau was first published under Section 28 of the said Act in the U.P. Gazette on 01.03.2025. Due to Khasra Nos. 1021 and 1044 not being recorded in the revenue land map, the area of the said Khasras could not be included under Section 28 at that time. Upon verification with Consolidation Holding Records (Forms 41 and 45), the area of the omitted Khasras was determined, according to which the total revised area is 65.5644 hectares. Out of this, after hearing objections on 26.09.2025, the Planning Committee recommended adjustment of 1.5391 hectares of land within the scheme subject to the imposition of betterment charges, and further recommended acquisition of 64.0253 hectares of land.

Approval under Section 31(1) of the Council Act, 1965 was granted by the Hon'ble Council in its 274th meeting held on 26.12.2025 under Agenda Item No. 274/28. Further, *vide* Letter No. 09/8-2-2026, e-File No. B-2099/5/26, Housing and Urban Planning Section-2, dated 04 February 2026, the Government of Uttar Pradesh accorded approval under Sub-section (2) of Section 31 of the Council Act, 1965.

Under the "Ghazipur-Mau Rajya Marg Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana, Ghazipur"the details of the land proposed to be acquired in Villages Jamunadeva and Andhau are as follows–

Sl. No.	Name of Village, pargana, tehsil and District	Khasra No.	Part	Area as per land consolidation form sheet 41-45	Total area of Khasra/ Khatauni	Area as per Gazette publication on of Section 28 dated 01.03.2025, 08.03.2025, 15.03.2025	Area adjusted by the Planning Committee	Area as be acquired under Section of Section 32
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hectare	Hectare	Hectare	Hectare	Hectare
1	Jamunadeva	71	P	0.8850	0.8850	0.1216	0.0000	0.1216
2	Jamunadeva	72		0.8620	0.8620	0.8260	0.0040	0.8220
3	Jamunadeva	73		0.4900	0.4900	0.4540	0.0037	0.4503
4	Jamunadeva	74		0.4790	0.4790	0.4790	0.0000	0.4790
5	Jamunadeva	75		0.0480	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
6	Jamunadeva	76		0.7020	0.7020	0.7020	0.0000	0.7020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hectare	Hectare	Hectare	Hectare	Hectare
7	Jamunadeva	77		0.0190	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
8	Jamunadeva	78		0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0160
9	Jamunadeva	79		0.0170	0.0170	0.0170	0.0000	0.0170
10	Jamunadeva	81		1.0180	1.0180	1.0180	0.0258	0.9922
11	Jamunadeva	82		0.0470	0.0470	0.0470	0.0000	0.0470
12	Jamunadeva	83		1.1500	1.1500	1.0930	0.0000	1.0930
13	Jamunadeva	84		0.0250	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
14	Jamunadeva	85		0.1740	0.1740	0.1740	0.0217	0.1523
15	Jamunadeva	100		0.0440	0.0440	0.0440	0.0000	0.0440
16	Jamunadeva	101		0.0230	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
			Total . .	**5.9990**	**5.9990**	**5.1066**	**0.0552**	**5.0514**
17	Andhau	50		0.4400	0.4400	0.4400	0.0000	0.4400
18	Andhau	51		0.2190	0.2190	0.2190	0.0000	0.2190
19	Andhau	52		0.0510	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
20	Andhau	53		2.5660	2.5660	2.5660	0.0027	2.5633
21	Andhau	54		0.2990	0.2990	0.2990	0.0000	0.2990
22	Andhau	56		0.4240	0.4240	0.4240	0.0000	0.4240
23	Andhau	57		0.5030	0.5030	0.5030	0.0000	0.5030
24	Andhau	58		0.0200	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
25	Andhau	59		0.4160	0.4160	0.4160	0.0000	0.4160
26	Andhau	60		0.4220	0.4220	0.4220	0.0000	0.4220
27	Andhau	61		0.0210	0.0210	0.0210	0.0000	0.0210
28	Andhau	62		0.0930	0.0930	0.0930	0.0000	0.0930
29	Andhau	63		0.1490	0.1490	0.1490	0.0000	0.1490
30	Andhau	64		0.0480	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
31	Andhau	65		0.0610	0.0610	0.0610	0.0000	0.0610
32	Andhau	66		0.3340	0.3340	0.3340	0.0000	0.3340
33	Andhau	67		0.0890	0.0890	0.0890	0.0000	0.0890
34	Andhau	68		0.0690	0.0690	0.0690	0.0000	0.0690
35	Andhau	69		0.0410	0.0410	0.0410	0.0000	0.0410

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hectare	Hectare	Hectare	Hectare	Hectare
36	Andhau	70		0.2940	0.2940	0.2940	0.0000	0.2940
37	Andhau	71		0.2500	0.2500	0.2500	0.0000	0.2500
38	Andhau	72		0.1260	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
39	Andhau	73		0.0280	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
40	Andhau	74		0.0240	0.0240	0.0240	0.0000	0.0240
41	Andhau	75		0.0660	0.0660	0.0660	0.0000	0.0660
42	Andhau	76		0.0250	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
43	Andhau	77		0.1140	0.1140	0.1140	0.0000	0.1140
44	Andhau	78		0.0360	0.0360	0.0360	0.0000	0.0360
45	Andhau	79		0.1100	0.1100	0.1100	0.0000	0.1100
46	Andhau	80		0.1920	0.1920	0.1920	0.0000	0.1920
47	Andhau	81		0.1480	0.1480	0.1480	0.0000	0.1480
48	Andhau	82		0.0760	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
49	Andhau	83		0.1900	0.1900	0.1900	0.0226	0.1674
50	Andhau	84		0.1460	0.1460	0.1460	0.0000	0.1460
51	Andhau	85		0.0410	0.0410	0.0410	0.0000	0.0410
52	Andhau	86		0.0630	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
53	Andhau	87		0.4050	0.4050	0.4050	0.0000	0.4050
54	Andhau	88		0.0970	0.0970	0.0970	0.0970	0.0000
55	Andhau	89		0.2840	0.2840	0.2840	0.0191	0.2649
56	Andhau	90		0.1860	0.1860	0.1860	0.0000	0.1860
57	Andhau	91		0.0550	0.0550	0.0550	0.0000	0.0550
58	Andhau	92		0.2530	0.2530	0.2530	0.0000	0.2530
59	Andhau	93		0.2660	0.2660	0.2660	0.0000	0.2660
60	Andhau	94		0.1580	0.1580	0.1580	0.0000	0.1580
61	Andhau	95		0.0850	0.0850	0.0850	0.0000	0.0850
62	Andhau	96		0.2020	0.2020	0.2020	0.0000	0.2020
63	Andhau	97		0.1130	0.1130	0.1130	0.0000	0.1130
64	Andhau	98		0.0650	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
65	Andhau	99		0.0730	0.0730	0.0730	0.0000	0.0730

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hectare	Hectare	Hectare	Hectare	Hectare
66	Andhau	100		0.0640	0.0640	0.0640	0.0000	0.0640
67	Andhau	101		0.0400	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
68	Andhau	102		0.0650	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
69	Andhau	103		0.1340	0.1340	0.1340	0.0000	0.1340
70	Andhau	104		0.0860	0.0860	0.0860	0.0000	0.0860
71	Andhau	105		0.0280	0.0280	0.0280	0.0000	0.0280
72	Andhau	106		0.4690	0.4690	0.4690	0.0000	0.4690
73	Andhau	107		0.0840	0.0840	0.0840	0.0000	0.0840
74	Andhau	108		0.0510	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
75	Andhau	121		0.0760	0.0760	0.0760	0.0000	0.0760
76	Andhau	265		0.0290	0.0290	0.0290	0.0006	0.0284
77	Andhau	270		0.4000	0.4000	0.4000	0.0096	0.3904
78	Andhau	271		0.3880	0.3880	0.3880	0.0000	0.3880
79	Andhau	272		0.2080	0.2080	0.2080	0.0000	0.2080
80	Andhau	273		0.1260	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
81	Andhau	274		0.0950	0.0950	0.0950	0.0000	0.0950
82	Andhau	275		0.0070	0.0070	0.0070	0.0000	0.0070
83	Andhau	276		0.0950	0.0950	0.0950	0.0000	0.0950
84	Andhau	277		1.1900	1.1900	1.1900	0.0000	1.1900
85	Andhau	278		0.7590	0.7590	0.7590	0.0000	0.7590
86	Andhau	279		0.1750	0.1750	0.1750	0.0000	0.1750
87	Andhau	280		0.1410	0.1410	0.1410	0.0000	0.1410
88	Andhau	281		0.0510	0.0510	0.0510	0.0000	0.0510
89	Andhau	282		0.1180	0.1180	0.1180	0.0000	0.1180
90	Andhau	283		0.1470	0.1470	0.1470	0.0000	0.1470
91	Andhau	284		0.0920	0.0920	0.0920	0.0000	0.0920
92	Andhau	285		0.0650	0.0650	0.0650	0.0000	0.0650
93	Andhau	286		0.1170	0.1170	0.1170	0.0000	0.1170
94	Andhau	287		0.0730	0.0730	0.0730	0.0000	0.0730
95	Andhau	288		0.1580	0.1580	0.1580	0.0000	0.1580

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hectare	Hectare	Hectare	Hectare	Hectare
96	Andhau	289		0.1120	0.1120	0.1120	0.0000	0.1120
97	Andhau	290		1.4350	1.4350	1.4350	0.0000	1.4350
98	Andhau	291		0.1330	0.1330	0.1330	0.0000	0.1330
99	Andhau	292		0.7960	0.7960	0.7960	0.0000	0.7960
100	Andhau	293		0.0250	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250
101	Andhau	294		0.5800	0.5800	0.5800	0.0000	0.5800
102	Andhau	299		1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	1.1020
103	Andhau	300		0.6890	0.6890	0.6890	0.0000	0.6890
104	Andhau	301		0.0540	0.0540	0.0430	0.0000	0.0430
105	Andhau	302		0.0540	0.0540	0.0440	0.0000	0.0440
106	Andhau	303		0.0560	0.0560	0.0560	0.0000	0.0560
107	Andhau	304		0.2070	0.2070	0.1760	0.0000	0.1760
108	Andhau	305		0.1110	0.1110	0.1110	0.0000	0.1110
109	Andhau	306		0.2950	0.2950	0.2950	0.0000	0.2950
110	Andhau	307		0.6700	0.6700	0.6660	0.5290	0.1370
111	Andhau	308		0.8180	0.8180	0.7900	0.0000	0.7900
112	Andhau	313		0.3680	0.3680	0.3680	0.0000	0.3680
113	Andhau	314		0.0940	0.0940	0.0940	0.0000	0.0940
114	Andhau	319		0.1330	0.1330	0.1330	0.0071	0.1259
115	Andhau	320		0.1260	0.1260	0.1260	0.0000	0.1260
116	Andhau	321		0.0190	0.0190	0.0190	0.0000	0.0190
117	Andhau	322		0.6280	0.6280	0.6280	0.0000	0.6280
118	Andhau	948		1.2880	1.2880	1.1530	0.0016	1.1514
119	Andhau	949		0.0580	0.0580	0.0580	0.0000	0.0580
120	Andhau	950		0.5460	0.5460	0.5240	0.0000	0.5240
121	Andhau	951		0.2260	0.2260	0.0660	0.0218	0.0442
122	Andhau	952		2.1680	2.1680	2.1390	0.0000	2.1390
123	Andhau	953		0.6140	0.6140	0.6140	0.0000	0.6140
124	Andhau	954		0.3700	0.3700	0.3700	0.0000	0.3700
125	Andhau	955		0.2790	0.2790	0.2790	0.0000	0.2790

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hectare	Hectare	Hectare	Hectare	Hectare
126	Andhau	956		0.2630	0.2630	0.2630	0.0000	0.2630
127	Andhau	957		0.0770	0.0770	0.0770	0.0000	0.0770
128	Andhau	958		0.1210	0.1210	0.1210	0.0000	0.1210
129	Andhau	959		0.3790	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
130	Andhau	960		0.0310	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
131	Andhau	961		0.3640	0.3640	0.3640	0.0000	0.3640
132	Andhau	962		0.1340	0.1340	0.1340	0.0000	0.1340
133	Andhau	963		0.1860	0.1860	0.1860	0.0000	0.1860
134	Andhau	964		0.1540	0.1540	0.1540	0.0000	0.1540
135	Andhau	965		0.1240	0.1240	0.1240	0.0000	0.1240
136	Andhau	966		0.3790	0.3790	0.3790	0.0000	0.3790
137	Andhau	967		0.0970	0.0970	0.0970	0.0000	0.0970
138	Andhau	968		0.0970	0.0970	0.0970	0.0000	0.0970
139	Andhau	969		0.1670	0.1670	0.1670	0.0000	0.1670
140	Andhau	970		0.1220	0.1220	0.1220	0.0000	0.1220
141	Andhau	971		0.1620	0.1620	0.1620	0.0000	0.1620
142	Andhau	972		0.0520	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
143	Andhau	973		0.2700	0.2700	0.2700	0.0000	0.2700
144	Andhau	974		0.3050	0.3050	0.3050	0.0000	0.3050
145	Andhau	975		0.6730	0.6730	0.6730	0.0000	0.6730
146	Andhau	976		0.5170	0.5170	0.5170	0.0000	0.5170
147	Andhau	977		0.1010	0.1010	0.1010	0.0000	0.1010
148	Andhau	978		0.2950	0.2950	0.2950	0.0000	0.2950
149	Andhau	979		0.4090	0.4090	0.4090	0.0000	0.4090
150	Andhau	980		0.2390	0.2390	0.2390	0.0000	0.2390
151	Andhau	981		0.3220	0.3220	0.3220	0.0000	0.3220
152	Andhau	982		1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	1.1450
153	Andhau	983		0.1620	0.1620	0.1620	0.0000	0.1620
154	Andhau	1002		0.0310	0.0310	0.0310	0.0000	0.0310
155	Andhau	1003		1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	1.1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hectare	Hectare	Hectare	Hectare	Hectare
156	Andhau	1004		0.7590	0.7590	0.7590	0.0000	0.7590
157	Andhau	1005		0.3990	0.3990	0.3990	0.0000	0.3990
158	Andhau	1006		0.0630	0.0630	0.0630	0.0000	0.0630
159	Andhau	1007		0.3390	0.3390	0.3390	0.0000	0.3390
160	Andhau	1008		0.1520	0.1520	0.1520	0.0000	0.1520
161	Andhau	1009		0.8880	0.8880	0.8880	0.0000	0.8880
162	Andhau	1010		0.0520	0.0520	0.0520	0.0000	0.0520
163	Andhau	1011		0.3670	0.3670	0.3670	0.0000	0.3670
164	Andhau	1012		0.2280	0.2280	0.2280	0.0000	0.2280
165	Andhau	1013		0.5230	0.5230	0.5230	0.0000	0.5230
166	Andhau	1014		0.2570	0.2570	0.2570	0.0000	0.2570
167	Andhau	1015		0.4820	0.4820	0.4820	0.0000	0.4820
168	Andhau	1016		0.2670	0.2670	0.2670	0.0000	0.2670
169	Andhau	1017		0.3540	0.3540	0.3540	0.0000	0.3540
170	Andhau	1018		0.3990	0.3990	0.3990	0.0000	0.3990
171	Andhau	1019		0.2660	0.2660	0.2660	0.0000	0.2660
172	Andhau	1020		0.0480	0.0480	0.0480	0.0000	0.0480
173	Andhau	1021		0.4060	0.4060	0.4060	0.0000	0.4060
174	Andhau	1022		0.1290	0.1290	0.1290	0.0000	0.1290
175	Andhau	1023		0.1290	0.1290	0.1290	0.0000	0.1290
176	Andhau	1024		0.1600	0.1600	0.1600	0.0000	0.1600
177	Andhau	1025		0.1440	0.1440	0.1440	0.0000	0.1440
178	Andhau	1026		0.1290	0.1290	0.1290	0.0000	0.1290
179	Andhau	1027		0.2630	0.2630	0.2630	0.0000	0.2630
180	Andhau	1028		0.0810	0.0810	0.0810	0.0000	0.0810
181	Andhau	1029		4.0540	4.0540	4.0540	0.7170	3.3370
182	Andhau	1030		0.0360	0.0360	0.0360	0.0000	0.0360
183	Andhau	1031		0.0130	0.0130	0.0130	0.0000	0.0130
184	Andhau	1032		0.0590	0.0590	0.0590	0.0000	0.0590
185	Andhau	1033		0.1700	0.1700	0.1700	0.0000	0.1700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hectare	Hectare	Hectare	Hectare	Hectare
186	Andhau	1034		0.0990	0.0990	0.0990	0.0000	0.0990
187	Andhau	1035		0.0710	0.0710	0.0710	0.0000	0.0710
188	Andhau	1036		1.6460	1.6460	1.6460	0.0000	1.6460
189	Andhau	1037		0.4530	0.4530	0.4530	0.0000	0.4530
190	Andhau	1038		0.0820	0.0820	0.0820	0.0000	0.0820
191	Andhau	1039		0.1420	0.1420	0.1420	0.0000	0.1420
192	Andhau	1040		0.3210	0.3210	0.3210	0.0000	0.3210
193	Andhau	1041		0.0230	0.0230	0.0230	0.0000	0.0230
194	Andhau	1042		0.6890	0.6890	0.6640	0.0000	0.6640
195	Andhau	1043		0.5590	0.5590	0.5380	0.0000	0.5380
196	Andhau	1044		0.1040	0.1040	0.1040	0.0000	0.1040
197	Andhau	1045		1.9910	1.9910	1.9080	0.0396	1.8684
198	Andhau	1114		0.0320	0.0320	0.0320	0.0000	0.0320
199	Andhau	1115		0.0050	0.0050	0.0050	0.0000	0.0050
200	Andhau	1116		0.5980	0.5980	0.5980	0.0000	0.5980
201	Andhau	1117		0.2780	0.2780	0.2780	0.0014	0.2766
202	Andhau	1118		0.4330	0.4330	0.4330	0.0000	0.4330
203	Andhau	1119		0.2220	0.2220	0.2220	0.0000	0.2220
204	Andhau	1120		0.3430	0.3430	0.3170	0.0000	0.3170
205	Andhau	1121		0.7330	0.7330	0.7330	0.0146	0.7184
206	Andhau	1122	P	1.2340	1.2340	0.1707	0.0000	0.1707
207	Andhau	2499/287		0.1460	0.1460	0.1460	0.0000	0.1460
208	Andhau	2500/289		0.1650	0.1650	0.1650	0.0000	0.1650
209	Andhau	2501/290		0.2380	0.2380	0.2380	0.0000	0.2380
210	Andhau	2503/290		0.2230	0.2230	0.2230	0.0000	0.2230
211	Andhau	2504/291		0.1360	0.1360	0.1360	0.0000	0.1360
212	Andhau	2505/278		0.2190	0.2190	0.2190	0.0000	0.2190
213	Andhau	2506/291		0.1090	0.1090	0.1090	0.0000	0.1090
214	Andhau	2507/87		0.2270	0.2270	0.2270	0.0000	0.2270
215	Andhau	2524/300		0.1220	0.1220	0.1220	0.0000	0.1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hectare	Hectare	Hectare	Hectare	Hectare
216	Andhau	290/2502		0.0150	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150
217	Andhau	**307/2525**	P	0.0540	0.0540	0.0532	0.0000	0.0532
218	Andhau	Matrook		0.2298	0.2298	0.2298	0.0000	0.2298
		Total . .		**62.1068**	**62.1068**	**60.4578**	**1.4839**	**58.9739**
		G. Total . .		**68.1058**	**68.1058**	**65.5644**	**1.5391**	**64.0253**

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

कार्यालय, नगर निगम, अलीगढ़

04 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 14/ज0वि0/2026-27—नगर निगम अलीगढ़ की मा0 सदन की बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 में पारित प्रस्ताव संख्या-26 जलकल विभाग द्वारा प्रस्तुत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिय अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, निकट रजिस्ट्रार ऑफिस लखनऊ, विश्वविद्यालय परिसर लखनऊ-226007 के सहयोग से तैयार किये गये अलीगढ़ फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2021 के सम्बन्ध में उ0प्र0 महापालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 एवं उसके सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के आलोक में ऑन साइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑन साइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/किट/सोख्ता) के संग्रहण, दुलाई और उससे जुड़े मामलों के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधियों की अधिसूचना के सम्बन्ध में नगर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों/सामाजिक संस्थानों से आपत्ति/सुझाव 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला में दिनांक 07 मई, 2022 को कराया गया था। निर्धारित अवधि 15 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः निम्नलिखित नगर निगम, अलीगढ-अलीगढ़ फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2021 की अधिसूचना गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर निगम अलीगढ़ की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिससे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर निगम, अलीगढ़ भवनों पर लागू होगा।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि नगर निगम अलीगढ़ ने अपनी सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग एतद् द्वारा ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्यसम्बन्धी और प्रासंगिक अथवा अनुशांगिक मामलों के लिय निम्नलिखित उपनियमावली (विनियम) बनाती है।

प्रारम्भिक–

1– लघु– शीर्षक और प्रारम्भ–

अध्याय-1

(i)– 'इन विनियमों को ''अलीगढ फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2021'' कहा जायेगा।

(ii)– ये विनियम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से अलीगढ़ नगर निगम (A.N.N.) की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

2– परिभाषायें–

(i)– 'एक्सेस कवर' से तात्पर्य है निरीक्षण, सफाई और अन्य रखरखाव कार्यों के लिय ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S.) तक पहुंच के लिय प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपयुक्त ढक्कन।

(ii)– A.N.N. पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से तात्पर्य है– राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिय विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका A.N.N. द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफएसएस) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिय निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

(iii)– ''विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (DWWT)'' एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-थलग पड़े समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सृजन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेन्ट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल हैं। डीडब्ल्यूडब्ल्यूटी से अपशिष्ट जल के तरल, ठोस, दोनों भागों का उपचार किया जाता है।

(iv)– ''निर्दिष्ट अधिकारी'' से तात्पर्य है। A.N.N. का ऐसा अधिकारी, जिस अधिकारी द्वारा लाइसेन्स जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिय अधिकृत किया गया है।

(v)– 'डी-स्लजिंग' से लाइसेन्स प्राप्त ऑपरेटर अथवा A.N.N. के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S.) से एफ0एस0एस0 को खाली करने का काम अभिप्रेत है।

(vi)– ''निपटान'' से एफ0एस0एस0 (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रवाहित करना/ले जाने का काम अभिप्रेत है।

(vii)– ''उत्प्रवाही'' किसी ओएसएस से स्रावित द्रव्य है। सेप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है।

(viii)– ''फीकल स्लज'' से ओएसएस की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं भंडारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S.) में भूजल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

(ix)– 'फीकल स्लज व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (F.S.S.T.P.)' सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिये ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिये एक स्वतंत्र एफएसएस ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) भी अभिप्रेत किया जा सकता है, अगर वहाँ फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवेज के साथ का-ट्रीट किया जाता है।

(x)– ''लाइसेन्स'' से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (F.S.S.M.) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें A.N.N के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो।

(xi)– ''लाइसेन्स प्राप्त ऑपरेटर'' से तात्पर्य है डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफएसएस के परिवहन के लिय लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति;

(xii)– ''अधिसूचित स्थान'' से तात्पर्य है एफएसएस पहुंचाने और निपटान का स्थान जिसे A.N.N द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है।

(xiii)– ''ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S.)'' ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्थता, जिसमें मलमूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहाँ पर वह उत्पन्न होता है।

(xiv)– ''प्रचालक'' से तात्पर्य है एफएसएस के डी-स्लजिंग, परिवहन अथवा ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

(xv)– ''व्यक्ति'' प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म अथवा एक कम्पनी, व्यक्तियों का एक संगठन अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(xvi)– ''शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग'' सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एन्ड एनवायर्मेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाईजेशन (सीपीएचईईओ) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

(xvii)– ''सेप्टेज'' सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है।

(xviii)– ''सीवेज'' अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है;

(xix)– ''सीवर'' से तात्पर्य है समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिय उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाईपलाईन।

(xx)– ''सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट'' से तात्पर्य है वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिय निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है;

(xxi)– ''कार्यबल'' से तात्पर्य है शहर मे नगर आयुक्त और मेयर की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल। समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों, शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है;

(xxii)– ''A.N.N. के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी'' से तात्पर्य है A.N.N. के स्वामित्व वाले वैक्यूम टैंकर का उपयोग कर एफएसएस के डी-स्लजिंग और परिवहन के उद्देश्य के लिय A.N.N. के सेवारत/अनुबन्धित कर्मचारी;

(xxiii)– ''परिवहन'' से तात्पर्य है A.N.N. पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना;

(xxiv)– ''ट्रीटमेंट'' से तात्पर्य है प्रदूषण को कम करने या उसकी रोकथाम के लिये एफएसएस/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिये बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया;

(xxv)– ''वैक्यूम टैंकर'' एक ऐसा वाहन है जिसमें एफएसएस को ओएसएस से वायु द्वारा खींचने के लिये बनाया गया पंप व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लस किये गये एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिये भी किया जाता है;

(xxvi)– ''अपशिष्ठ जल'' से तात्पर्य है घरेलू/व्यावसायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट, जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल है, किंतु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं हैं। आमतौर पर, यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिय बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है। इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर, उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल प्रबन्धन

3– परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निपटान– प्रत्येक सम्पत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिय उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्

(i)– यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथाः अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सीवरेज प्रणाली से जोड़े।

(ii)– अपशिष्ट जल को ए0एन0एन0 द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

(iii)– जिस संपत्ति से प्रति दिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डीडब्ल्यूडब्ल्यूटी संस्थापित करेगा ताकि सम्पत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सके। संपत्ति मालिक/मालकिन, ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/फ्लशिंग के लिय पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

(iv)– परिसर का अपशिष्ट जल ओ0एस0एस0 में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउटलेट न हो।

अध्याय-III

ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्थाएं

4– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव–

(i)– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथाः आशोधित ''मैन्युअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सीपीएचईईओ'' के प्रावधानों के अनुसार अथवा A.N.N. या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किय गये किसी अन्य स्वीकृत एस0ओ0पी0 अथवा मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

(ii)– ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति का मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफ0एस0एस0 की देख-रेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिय उत्तरदायी होगा।

(iii)– परिसर का मालिक/धारक A.N.N द्वारा यथाः निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग करायेगा।

(iv)– परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगी कि उसके ओ.एस.एस. में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफ.एस.एस. के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

(v)– परिसर का मालिक/धारक दण्ड का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि A.N.N से प्राप्त लाइसेन्स प्राप्त ऑपरेटर या A.N.N के प्रशिक्षित स्वच्छताकर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओएसएस को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिय कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

(vi)– A.N.N या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिय परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। A.N.N. परिसर के मालिक/धारक को एक समयसीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (F.S.S.W.) के प्रबन्धन और निपटान से सम्बन्धित रेट्रोफिटिंग (अनुयोजन)/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिय नोटिस जारी कर सकती है।

(vii)– A.N.N. अपने विवेक से, संपत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग (अनुयोजन)/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिय तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिय प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-IV

एफएसएस के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिय पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग

5– A.N.N. द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना।

(i)– A.N.N. निजी ऑपरेटर (रों) द्वारा स्वामित्व अथवा किराये पर लिये वैक्यूम टैंकर (रों) का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में अलीगढ़ शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ii)– A.N.N. अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिय इनफॉर्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (आईईसी) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफएसएस को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिय सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिय संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iii)– एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिय आवेदन करेगा (करेगी)। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iv)– A.N.N. एफएसएस को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिय ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

(v)– लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान आधार पर होगा।

(vi)– A.N.N. आवेदक के स्वामित्व या किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकर (रों) को पंजीकृत करेगी। ए.एन.एन. अपनी संतुष्टि के लिय वाहन का निरीक्षण करेगी। A.N.N को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय में A.N.N. मानती है कि इन विनियमों के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित मापदण्डों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिय खतरा है।

6– लाइसेंस जारी करने हेतु मापदण्ड–

(i)– लाइसेंस प्राप्त करने के लिये योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद 2(xv) में परिभाषित ''व्यक्ति'' है।

(ii)– आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराये पर होना/होने चाहिये।

(iii)– अलीगढ़ में परिचालन किये जाने के लिये वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

(iv)– आवेदक A.N.N. के साथ अपने वैक्यूम टैंकर (रों) को पंजीकृत करेगा।

(v)– आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिये गये वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदण्डों को पूरा करते हैं।

(vi)– आवेदक A.N.N. अथवा A.N.N. द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिये श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

(vii)– आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पी.पी.ई.) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफएसएस के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिय जरूरी होगा। ये आवश्यक पीपीई इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7– लाइसेंस के लिय आवेदन– एफएसएस के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और A.N.N. के निर्दिष्ट अधिकारी (रियों) द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

8– लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिय आवेदकों को आमंत्रण– ए.एन.एन. अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, संभावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिय आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

9– लाइसेंस के लिय आवेदन शुल्क– A.N.N. लाइसेंस प्रदान करने के लिय, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क प्रभारित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा A.N.N. के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10– परफॉरमेंस गारंटी–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी/ए.एन.एन. के निर्दिष्ट अधिकारी के नाम बन्धक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर. के तौर पर परफॉरमेंस (कार्य-प्रदर्शन) गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि A.N.N. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जायेगा।

11– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार– A.N.N. समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर (ओं) को अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

12– जागरूकता अभियान– A.N.N. इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिय जागरूकता अभियान चलायेगी, साथ ही साथ एफएसएस को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-V

एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन

13– संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा

(i)– एफएसएस की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिय A.N.N. के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या A.N.N. के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना सम्पत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

(ii)– मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा (करेगी) कि डी स्लजर (रों) को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफएसएस की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान के रिकॉर्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा (करेगी)।

14– एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिय शुल्क

(i)– एफएसएस को डी स्जल करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिय शुल्क को A.N.N. के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

(ii)– जब A.N.N. शहर में शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को ''सैनिटेशन चार्ज'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अथवा इसे सम्पत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर A.N.N. द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(iii)– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर A.N.N. द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, सम्पत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि वसूल नहीं करेगा (करेगी)।

(iv)– एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिय अधिसूचित शुल्क से अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिय जिम्मेदार बनायेगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिय उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15– एफएसएस के परिवहन के लिये वाहन

(i)– एफएसएस को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर (रों), या A.N.N. के प्रशिक्षित स्वच्छता कार्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जायेगा।

(ii)– वैक्यूम टैंकर (रों) को 6 महीने की अवधि के लिय पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हों। ऐसे मामलों में, सम्बन्धित ऑपरेटर को इस निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

(iii)– एफएसएस के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिय वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर A.N.N. द्वारा चिन्हित किया जायेगा) पर ही चलना होगा।

(iv)– एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिय उपयोग किये जाने वाले वाहन पर A.N.N. द्वारा जारी किये गए ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति (कापी) प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(v)– वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में ''सेप्टिक टैंक वेस्ट'' ("SEPTIC TANK WASTE") (अंग्रेजी में) व ''मलकुंड अपशिष्ट'' (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जायेगा।

(vi)– एफएसएस के परिवहन के लिय उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जीपीएस उपकरण लगाया जायेगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और A.N.N. द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिय इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिये जायेगे।

16– परिवहन के दौरान सावधानियां– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा (करेगी) कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफएसएस का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17– दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय– एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिये आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा।

18– दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता– किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, सम्पत्ति या पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान के लिय लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा (होगी), और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिय उत्तरदायी होगा (होगी), यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया जाता है।

19– तैनात कर्मी (यों) के लिय सुरक्षा-उपाय– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिय जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चालित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मास्क, और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिये भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013'' में तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20– एफएसएस का निपटान–

(i)– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर A.N.N. द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफएसएस का निपटान करेगा (करेगी)।

(ii)– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफएसएस की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान का रिकॉर्ड फॉर्म A.N.N. के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा (करेगी)।

21– **कर्मि (यों) का प्रशिक्षण**– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफएसएस के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मि (यों) के आवधिक प्रशिक्षण के लिय जिम्मेदार होगा (होगी)।

22– **कर्मि (यों) की नियमित स्वास्थ्य जांच**– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिय जिम्मेदार होगा (होगी) कि प्रत्येक कर्मी की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम-से-कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख A.N.N. को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किये जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिय उत्तरदायी होगा (होगी), जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता हो।

23– **बीमा**– एफएसएस को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मि (यों) को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013'' और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिय बीमा किया जायेगा।

24– **लाइसेंस रद्द करना**– इन विनियमों सहित ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013'' के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिय उत्तरदायी होगा (होगी), जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारी (यों) की सिफारिश के अनुसार परफॉरमेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय-VI

एफएसएसडब्ल्यू के उपचार एवं पुनः उपयोग/निपटान

25– **उपचार/निपटान स्थल (लों) की पहचान**– A.N.N. ऐसे स्थान (नों) की पहचान करेगी और अधिसूचित करेगी, जहां एफएसएसडब्ल्यू को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या A.N.N. के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जायेगा।

26– **एफएसएसडब्ल्यू की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन**– A.N.N. आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगी और पंजीकृत वाहन (नों) द्वारा लाये गये एफएसएसडब्ल्यू के उपचार/निपटान की सुविधा के लिय अधिसूचित स्थान (नों) पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी।

27– **एफएसएस प्राप्त करने के लिय कर्मियों की तैनाती**– प्रत्येक अधिसूचित स्थान (नों) पर एफएसएस प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानान्तरित करने हेतु ए.एन.एन. पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगी।

28– **एफएसएस प्राप्ति का समय**– A.N.N. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान (नों) पर A.N.N के तैनात कर्मियों द्वारा एफएसएस प्राप्त किया जायेगा।

29– **औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये**– औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफएसएस को अधिसूचित स्थान (नों) पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

30– **एफएसएसएम में प्रशिक्षण**– ए.एन.एन. द्वारा अधिसूचित स्थान (नों) पर तैनात कर्मियों को एफएसएस प्राप्त करने और उपचार एवं पुनः उपयोग/निपटान के लिय प्रशिक्षित किया जायेगा।

31– उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का पुनः उपयोग–

(i)– A.N.N. किसानों को अनुपचारित एफएसएसडब्ल्यू के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी, और एफएसएसटीपी से उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करेगी।

(ii)– A.N.N. शहर में डीडब्ल्यूडब्ल्यूटी से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिये करेगी, जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

(iii)– किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आसपास के क्षेत्र (01 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिय करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिय ए.एन.एन. से परामर्श करेगा।

अध्याय-VII

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन

32– प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन

(i)– इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार नगर आयुक्त या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित हैं, जिन्हें विधिवत तौर पर नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ii)– डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिय A.N.N. समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिये, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33– निरीक्षण के लिय विशेष अधिकार

इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से, A.N.N. के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34– उल्लंघन और दण्ड

(i)– इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिय नोटिस जारी किया जायेगा।

(ii)– कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिय जिम्मेदार होगा (होगी), यदि ऐसा व्यक्ति (क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गये अधिकार के तहत कार्य करने वाले A.N.N. के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर को डी-स्लज करने के लिय हाथ से किये जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

(iii)– इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और सम्बन्धित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दण्डित किया जायेगा, और साथ ही एफएसएस परिवहन वाहन, एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा या संपत्ति को जब्त किया जायेगा, जैसा भी मामला हो।

(iv)– जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले में, जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाये गये व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (रु. 5,000) के जुर्माने के साथ दण्डित किया जायेगा और इसके बाद निरन्तर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपए (रु. 1,000) प्रति दिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिये उस अवधि हेतु दण्डित किया जायेगा।

(v)– संदेह के समाधान के लिये, एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य सम्बन्धित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दण्डित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दण्डनीय किया गया है।

35– अपील– कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत A.N.N. के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, नगर आयुक्त को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता (सकती) है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय नगर आयुक्त द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यबल को प्रस्तुत की जायेगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी।

36– विवाद समाधान उपबन्ध– कोई भी विवाद, जो इन विनियमों के संचालन के सम्बन्ध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा, और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल अलीगढ़ शहर होगा।

37– संदर्भ दस्तावेज– नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिये, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किये जायेंगे।

38– **राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे**– राज्य सरकार इन नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिय एफएसएसडब्ल्यूएम के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।

परिशिष्ट-1

प्रपत्र 1: एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन प्रपत्र

नगर निगम अलीगढ़ में मल कीचड़ एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु

लाइसेंस के लिये आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम (श्री/सुश्री).....

.....

2. राष्ट्रीयता: (भारतीय/अन्य).....

.....

3. पत्राचार का पता:.....

.....

4. मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय का पता:.....

.....

5. टेलीफोन नंबर: (कार्यालय).....(मोबाइल).....

.....

6. ईमेल आईडी.....

7. वाहन की पंजीकरण संख्या:

(i) ..... (ii) .....

(iii) ..... (iv) .....

8. वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र वैधता की अवधि:

(i) ..... (ii) .....

(iii) ..... (iv) .....

9. वाहन बीमा वैधता की अवधि:

(i) ..... (ii) .....

(iii) ..... (iv) .....

10. वाहन प्रदूषण प्रमाण-पत्र वैधता की अवधि:

(i) ..... (ii) .....

(iii) ..... (iv) .....

11. क्या वाहन में जीपीएस ट्रैकर संस्थापित है (हाँ/नहीं)

12. लाइसेंस के लिय प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान का विवरण

डी.डी. नंबर ..... दिनांक ..... बैंक .....

13. संलग्न दस्तावेजों की सूची (स्वयं-संस्थापित प्रति) (टिक करें ✓):

☐पहचान पत्र ☐पंजीकरण प्रमाण-पत्र ☐ प्रदूषण प्रमाण-पत्र ☐निवास प्रमाण-पत्र

☐स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ☐ड्राइविंग लाइसेंस ☐ बीमा और पॉलिसी अनुसूची का प्रमाण-पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो कर्मचारियों की सूची संलग्नों की कुल संख्या.....

मैं/हम यह प्रमाणित करता (करती) हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 13 में दी गई जानकारी मेरे/हमारे संज्ञान में सही और सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता (करती) हूँ कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को ठीक ढंग से पढ़ा और समझ लिया है और इनके अनुपालन के लिये मैं सहमत हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाने पर किसी भी समय लाइसेंस के लिये मेरा आवेदन रद्द किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर
तिथि:.....

निबन्धन एवं शर्तें–

1. मल कीचड़ और सेप्टेज (एफएसएस) का संग्रहण एवं परिवहन केवल ऐसे अभिकरण द्वारा किया जायेगा जिनके पास इस उद्देश्य हेतु नगर निगम, अलीगढ (A.N.N.) से जारी किया गया वैध लाइसेंस हो।

2. मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफएसएसटीपी) तक एफएसएस के संग्रहण और परिवहन के लिये लिया जाने वाला शुल्क समय-समय पर A.N.N. द्वारा निर्धारित किया जायेगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओएसएस के मालिक/मालकिन से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं वसूल करेगा।

3. एफएसएस का परिवहन केवल उन अनुमोदित वाहनों से होगा, जिन्हें A.N.N. द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने अनुमति दी हो।

4. लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एफएसटीपी तक परिवहन के दौरान एफएसएस का कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

5. डिस्लजिंग बिन्दु से एफएसएसटीपी तक एफएसएस को ले जाने वाले वाहन के चलने के दौरान किसी भी दुर्घटना के होने के कारण प्रदूषण के खतरे का ध्यान रखने के लिये निर्धारित उपकरण लगाया जायेगा।

6. एफएसएस के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण लगाया जायेगा और A.N.N. द्वारा अधिसूचित एजेंसी को इसकी पहुंच/एक्सेस का अधिकार ऐसे वाहनों की निगरानी के लिये दिया जायेगा।

7. किसी भी दुर्घटना के होने अथवा आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान के लिये लाइसेंसधारी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

8. एफएसएस के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

9. वाहन/टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में ''सेप्टिक टैंक वेस्ट'' ("SEPTIC TANK WASTE") (अंग्रेजी में) व ''मलकुण्ड अपशिष्ट'' (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जायेगा।

10. लाइसेंसधारी एफएसएस को केवल निर्दिष्ट एफएसएसटीपी/नामित स्थानों में ही निपटान करेंगे।

11. एफएसएसटीपी पर एफएसएस सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। लाइसेंसधारी इस तरह से ट्रिप की योजना बनायेगा, ताकि तय किये गये समयावधि के भीतर टैंक को निर्दिष्ट स्थानों में खाली किया जा सके।

12. लाइसेंसधारी तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये जिम्मेदार होगा, जो किसी दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिये उपाय करने, एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रभावी सेवायें प्रदान करने, सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने आदि के लिये होगा।

13. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो, और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय ए.एन.एन को इससे सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रस्तुत कराया जाये।एफएसएस की सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिये तैनात कर्मचारियों का लाइसेंसधारी द्वारा बीमा किया जायेगा। इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और लाइसेंसधारी की बयाना-राशि/सुरक्षा-राशि को जब्त कर लिया जायेगा, और साथ ही साथ वह इन नियमों के उल्लघं के लिये निर्धारित अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिये भी जिम्मेदार होंगे।

परिशिष्ट-2

प्रपत्र 2: एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्रदान करने हेतु

नगर निगम अलीगढ़ में मल कीचड़ एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस

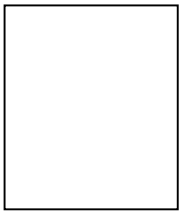

नियमों/विनियमों, नगर निगम अधिनियम नियमों के सभी निबन्धनों व शर्तों के क्रम में यह लाइसेंस और उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों और कानूनों को लागू करने के विशेष लाइसेंस शर्तों के अधीन एतद्द्वारा अनुमति दी गई है :

1. आवेदक (श्री/सुश्री) का नाम.....
.....
.....

2. मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय का पता:.....
.....
.....

अलीगढ़ नगर निगम में ऑनसाइट कनटेन्टमेन्ट से मल कीचड़ एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन एवं निपटान के लिये।

यह लाइसेंस एफएसएस संग्रहण, परिवहन और निपटान लाइसेंस आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी पर आधारित है। यह लाइसेंस इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी है, जो नीचे निर्धारित है।

3. लाइसेंस नंबर : .....

4. प्रभावी तिथि : .....

5. समाप्ति तिथि : .....

गैर-अनुपालन के मामले में लाइसेंस रद्द या निरस्त किया जा सकता है और यह हस्तान्तरणीय नहीं है। लाइसेंसधारी के कार्यालय में मूल लाइसेंस की प्रति फाइल में रखी जायेगी। इस लाइसेंस की एक प्रति लाइसेंसधारक द्वारा उपयोग किये गये प्रत्येक पंजीकृत वाहन में प्रदर्शित की जानी चाहिये।

6. हस्ताक्षर:

एम्पटीयर/ऑपरेटर/मालिक

नगर आयुक्त

नगर निगम अलीगढ़

परिशिष्ट-3

सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणों की सूची

1. कार्यस्थल पर निम्नलिखित सुरक्षात्मक गियर तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे–

2. शारीरिक सुरक्षा परिधान, जो मुख्य रूप से पॉलियस्टर से बने होते हैं, जो प्रतिबिम्बित होते और रासायनिक स्प्लैश प्रतिरोध प्रदान करते हैं

3. सेफ्टी बॉडी हार्नेस/सेफ्टी बेल्ट

4. सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर्स, जो धूल, धुयें, धुंध, माइक्रोआर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करते हैं

5. सेफ्टी टॉर्च

6. भारी रसायन प्रतिरोध हाथ के दस्ताने, जो ब्यूटाइल से बने होते हैं और यांत्रिक सुरक्षा और खतरनाक सामग्री के छलकाव से सुरक्षा देने के लिये अतिरिक्त तौर पर फायदेमंद होते हैं

7. सेफ्टी गॉगल्स (सुरक्षात्मक चश्में) जिनमें रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता के साथ संक्रामक पदार्थों को आंखों तक पहुंचने से बचाने की क्षमता होती है।

8. सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जिसमें एक टार्च लगी होती है और जो कम प्रकाशित स्थानों में कार्य करने में सहायक हो।

9. पुनः उपयोग किया जाने वाला इयरप्लग, जो प्रमुख तौर पर एक लचीली पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे जरूरत न होने पर गर्दन पर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन से बने होते हैं और ये वैक्यूम टैंकरों के ऑपरेशन के दौरान सहायक होते हैं, जहाँ औसत ध्वनि स्तर 85 कंठ से अधिक होती है

10. एमर्जेंसी मेडिकल ऑक्सिजन रिससकिटेटर किट

11. गैस मॉनिटर

12. हैण्ड लैम्प

13. गाइड पाइप सेट

14. सुरक्षा ट्राईपॉड सेट

15. वेडर बूट्स

16. एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

17. मॉडयूलर आपूर्ति ट्रॉली सिस्टम

18. रेनकोट

19.

परिशिष्ट-4

प्रपत्र 3: एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर निगम अलीगढ़ में मल कीचड़ एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु रिकॉर्ड

के रख-रखाव का प्रपत्र

तिथि ..... समयः.....

i. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक/मालकिन का विवरण

1. नामः.....

2. पताः.....

3. टेलीफोन नंबरः.....

4. स्थापना का प्रकारः.....

ii. नियंत्रण

1. निर्माण का वर्षः..... 2. पिछली डिस्लजिंगः (तिथि/माह/वर्ष).....

3. मौजूदा आउटलेट (हाँ/नहीं)..... 4. यदि हों तो कहाँ से जुड़ा हुआः.....

5. कनटेन्टमेन्ट का आकारः.....

6. लाइनिंग (हाँ/नहीं): दीवारें..... तल.....

7. कक्षों की संख्याः.....8. प्रत्येक बाधिक दीवार में आउटलेट की संख्याः.....

9. माप (फीट) लम्बाई ..... चौड़ाई..... गहराई.....

व्यास ..... गहराई.....

iii. डि-स्लजिंग

1. एफएसएस की मात्रा (घन मीटर)..... 2. डि-स्लजिंग में समय (घंटे).....

3. यात्रा की लम्बाई (किमी)..... 4. आवागमन में समय (घंटे).....

iv. डी-स्लजिग सेवा प्रदाता का विवरण

1. ऑपरेटर का नाम.....

2- वाहन पंजीकरण संख्या ..... 3. ए.एन.एम. लाइसेंस नं.....

v. हस्ताक्षर

ड्यूटी पर एम्पटीयर एम्पटीयर/ऑपरेटर/मालिक ओएसएस मालिक

vi. डिकैटिंग (निथारना)

1. समय (घंटे/माह) ..... 2. एफएसएस की मात्रा (घन मीटर).....

3. एम्पीयर कर्मचारियों का नाम.....

4. एफएमएमटीपी ऑपरेटर का नाम.....

vii. हस्ताक्षर

ड्यूटी पर एम्पटीयर स्टाफ एम्पटीयर/ऑपरेटर/मालिक एफएमएमटीपी ऑपरेटर

परिशिष्ट-5

दण्ड, जुर्माना और शुल्क–

(इस विनियम के खण्ड 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 17, 18, 25, 26 और 31 देखें)

क्रम सं0			सांकेतिक जुर्माना	जुर्माना (रुपये या किसी अन्य)
1	2	3	4	5
			रुपये–	
1.1	नाली/सड़क/खुले क्षेत्र में अपषिष्ट जल का सीधे	3	100	
1.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	3	100	
1.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	3	50 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	4	100	
2.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	4	100	
2.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	4	50 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	ए.एन.एन. पंजीकरण के बिना वैक्यूम टैंकरों को ऑपरेट करना	5	2,500	
3.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	5	3,000 प्रति दिन	
3.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	5	5,000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	यातायात नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरणों के बिना वैक्यूम टैंकरों को ऑपरेट करना	6	500	
4.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	6	500	
4.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	6	500 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	आकस्मिक छलकाव (स्पिलेज) पर ध्यान न देने पर गैर-अनुपालन	17, 18	1,000	
5.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	17, 18	1,000	
5.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	17, 18	100 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
6.1	एफएसएसटीपी/एसटीपी से अनुपचारित एफएसएसडब्लू का निर्वहन	25, 26	10,000	
6.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25, 26	10,000	
6.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25, 26	1,000 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती

1	2	3	4	5
			रुपये–	
7.1	द्वारा अधिसूचित स्थान के अलांवा अनुपचारित	25, 26	10,000	
7.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25, 26	10,000	
7.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25, 26	1,000 प्रति दिन	
8.1	एफ.एस.एस. के डी-स्लजिंग हेतु लाईसेन्स शुल्क	8	5,000	
8.2	एफ.एस.एस. के डी-स्लजिंग हेतु लाईसेन्स का नवीनीकरण	9	2,000	
8.3	एफ.एस.एस. के डी-स्जलिंग हेतु परफारमेन्स गारन्टी	10	1,000	
9.1	एफ.एस.एस. के डी-स्जलिंग एवं परिवहन हेतु शुल्क	14	100 प्रति 4000 लीटर के लिये	

दण्ड, जुर्माना नहीं चुकाये जाने की दशा में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत बाकीदार की सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली की जायेगी।

परिशिष्ट-6

प्रपत्र 4: अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अपील ज्ञापन

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अपील ज्ञापन का प्रपत्र

*अपीलीय प्राधिकारी का नामः

.....(पदनाम)

1. अपीलकर्ता का पूरा नामः.....

2. अपीलकर्ता का पताः.....

3. नगर निगम अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरूद्ध अपील जारी की है

नामः.....पदनामः.....

4. आदेश प्राप्त होने की तिथि जिसके विरूद्ध अपील की जा रही हैः.....

5. अपील दर्ज करने की तिथिः.....

6. सूचना का विवरण

क. संक्षिप्त में अपील का विषय (आदेश की प्रति संलग्न करें)

.....

.....

ख. अपील का आधार (विवरण, यदि कोई हो तो अलग शीट में संलग्न किया जाये)

.....

.....

सत्यापन

मैं.....(आवेदक का नाम), श्री.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि अपील में प्रदान की गई जानकारी मेरे संज्ञान और विश्वास में सही और सत्य हैं और यह कि मेरे द्वारा किसी भी तथ्यगत जानकारी को छुपाया नहीं गया है।

स्थानः.....

संलग्नक के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों की

सूची

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि.....

1.

2.

..... यहाँ से फाडें .....

पावती

सं..... तिथि .....

.....से संलग्नक के साथ अपील का ज्ञापन प्राप्त किया

स्थान..... तिथि .....

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर अलीगढ़ नगर

निगम के आदेश द्वारा

नगर आयुक्त के हस्ताक्षर

अलीगढ़ नगर निगम

परिशिष्ट-7

संदर्भ दस्तावेज

(खण्ड 37 देखें)

यूएलबी के मार्गदर्शन के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों का

नवीनतम संस्करणः

1– एडवाइजरी नोटः शहरी भारत में सेप्टेज प्रबन्धन 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

Advisory Note: Septage Management in Urban India, 2013, Ministry of Urban Development, Government of India.

2– नगर स्वच्छता योजना, 2019, नगर निगम अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।

City National Plan, 2019 Nagar Nigam, Aligarh, Uttar Pradesh.

3– उत्तर प्रदेश में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिय दिशानिर्देश, 2018, सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट, नई दिल्ली।

Draft Guidelines for Faecal Sludge and Septage Management in Uttar Pradesh, 2018, Centre for Science and Environment, New Delhi.

4– मल, कीचड़, सेप्टेज एवं अपषिष्ट, जल के एकीकृत प्रबन्ध की रणनीति सह दिशा निर्देश 2019 नगर निगम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश।

Integrated Faecal Sludge, Septage and Waste Water, Management of Strategy cum Guideline, 2019, Nagar Nigam Aligarh, Uttar Pradesh.

5– आईएसः 2470-1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना एवं सेप्टिक टैंक के निपटान के लिय भारतीय मानक संहिता अभ्यास, भारतीय मानक ब्यूरो,

(क)– (भाग I) डिजाइन मानदण्ड और निर्माण

(ख)– (भाग II) द्वितीय उपचार एवं सेप्टिक टैंक बहिःस्राव का निपटान

IS: 2470-1985, Indian Standard Code of Practice for Installation of Septic Tanks and Disposal of Septic Tank Effluent, Bureau of Indian Standards,

(a)– (Part I) Design Criteria and Construction

(b)– (Part II) Secondary Treatment and Disposal of Septic Tank Effluent.

6– मैनुअल ऑन सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एण्ड एनवायरनमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार।

Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013, Central Public Health Engineering and Environmental Organization, Government of India.

7– मीनू ऑन उन एण्ड नेटवर्क्ड टेक्नोलॉजीस 2019 सेंटर फॉर साईंस एण्ड एनवायरमेंट नई दिल्ली।

Menu on Un & Networked Technologies, 2019, Centre for Science and Environment, New Delhi. [Available at: https://www-cseindia-org/mount/home]

8– मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

National Policy on Faecal Sludge and Septage Management, 2017, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India-

9– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

National Urban Sanitation Policy, 2008, Ministry of Urban Development, Government of India.

10– सेप्टेज प्रबन्धनः प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट।

Septage Management: A Practitioner's Guide, 2017, Centre for Science and Environment.

11– सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई की मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

Standard Operating Procedure for Cleaning of Sewers and Septic Tanks, 2018, Ministry of Housing and Urban Affairs] Government of India

12– टेक्निकल नोट ऑन शैलो एण्ड डीप ट्रैंचेस फॉर फीकल स्लज/सेप्टेज 2019, वॉटर, सैनिटेशन एण्ड हाइजीन इंस्टिट्यूट,नई दिल्ली।

Technical Note on Shallow and Deep Trenches for Faecal Sludge / Septage, 2019, Water, Sanitation and Hygiene Institute, New Delhi.

13– दि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैन्युअल स्कवेंजर्स एण्ड डेयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एण्ड जस्टिस, भारत सरकार।

The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, Ministry of Law and Justice, Government of India.

प्रेम प्रकाश मीणा,
नगर आयुक्त,
नगर निगम अलीगढ़।

कार्यालय, नगर पंचायत, पाकबडा मुरादाबाद

04 अगस्त, 2025 ई0

सं0 193/न0पं0पा0/2025-26–कार्यालय नगर पंचायत पाकबडा के पत्र सं0-41/न0पं0पा0/2025-26–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत पाकबडा द्वारा मच्छरजनक स्थितियां (संचारी रोग) पैदा करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि-2025 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत पाकबडा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, तत्क्रम में दैनिक समाचार पत्र दैनिक आज मे दिनांक 08 जुलाई, 2025 एवं दैनिक शाह टाइम्स दिनांक 08 जुलाई, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमांत्रित किया गया। निर्धारित समयवाधि 15 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

मच्छरजनक स्थितियां (संचारी रोग) पैदा करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि-2023

1– शीर्षक प्रसार और विस्तार–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत पाकबडा, मुरादाबाद मच्छरजनक स्थितियां (संचारी रोग) पैदा करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि-2023 कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत पाकबडा, मुरादाबाद की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी।

2– परिभाषायें–

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में .....

(क) "अध्यक्ष" से तात्पर्य–नगर पंचायत पाकबडा, मुरादाबाद के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ख) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य–नगर पंचायत पाकबडा, मुरादाबाद के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) पर्यवेक्षण अधिकारी से तात्पर्य–अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत पाकबडा, मुरादाबाद के द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी से है जो इस उपविधि के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही हेतु नगर पंचायत पाकबडा जनपद मुरादाबाद द्वारा अधिकृत किया जायेगा।

3– प्रतिशेध–कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में–

(1)– पानी को ऐसे जमा नहीं होने देगा कि जिसमें मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिंग) कर सके या उनके उसमें प्रजनन करने की सम्भावना हो।

(2)– इस क्षेत्र में न तो खुद पानी जमा होने देगा और न दूसरे को ऐसा करने की इजाजत या अनुमति देगा और न किसी प्रकार से पानी को वहां जमा या संचित होने देगा जिसमे मच्छर पैदा होते हो या पैदा होने की संभावना हो। ऐसा वह उसी हालत में होने देगा जब उस पानी का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेन्ट) हो गया हो कि उसमें मच्छर पैदा ही न हो पायें।

4– प्रजनन अभिज्ञापन– किसी भी स्थिर पानी या बहते पानी के जल निकास (वाटर बाडी) में यदि लार्वे पाये जाये तो इस बात के प्रमाण होगें की उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।

5– मच्छरों के प्रजनन (ब्रीडिंग प्लेसज) का कीटनाशी उपचार–

(1)– पर्यवेक्षण अधिकारी जिन रूके हुये या बहते हुये पानी के स्थानी में मच्छर पनप रहे हो, या उनके पनपने की संभावना उन सभी के स्वामियों (ओनरों) अधिग्राहियों (ऑक्यूपेन्ट्स) को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में जो चौबीस घंटो से कम नहीं) भौतिक रसायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिसे पर्यवेक्षण अधिकारी उचित समझते हों उन प्रजनन स्थलों को उपचारिता (ट्रीट) करवायेगा।

(2)– यदि उपविधि (1) के अन्तर्गत अधिग्राही (आक्यूपायर, किरायेदार, लीज आदि पर आवास लेने वाले) को जो नोटिस दिया जाता है और इसके अनुपालन में कोई कार्य व्यक्त (एक्सप्रेस्ड) या व्यक्ति नियुक्त (इप्लाइड) नहीं हुआ है तो सम्पत्ति मालिक से नगर पंचायत द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर खर्च की गयी उचित धनराशि मांग सकता है अथवा उस किराये में काट सकता है तो उसे मकान मालिक को देना है।

6– व्यक्तिक्रम अथवा चक्र पर कार्यवाही– यह उपविधि 5(1) के अन्तर्गत यह व्यक्ति जिस पर नोटिस जारी किया गया है बताये गये उपाय करने से इन्कार कर लेता है या नोटिस में विहित उपचार निर्दिष्ट समय में नहीं करवा सकता है और अधिशासी अधिकारी इसका खर्चा जैसी भी स्थिति हो मकान मालिक अथवा किरायेदार से वसूली कर सकता है मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

7– मच्छर रोधी संरचनाओं की सुरक्षा– किसी भी जमीन पर या भवन में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिये सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी निर्देश अधिग्राही (ऑक्यूपायर) ने यदि कोई निर्माण करवाया है तो अधिशासी अधिकारी/पर्यवेक्षण अधिकारी उस जमीन या भवन का उपयोग किसी ऐसे काम के लिये रोक सकता है जो कि मच्छर–रोधी इन संरचनाओं की नुकसान पहुंचाने या कार्य कुशलता में गिरावट लाये।

8– मच्छर निवारण–नियंत्रण कार्य में दखलन्दाजी या हस्ताक्षेप पर रोक–अधिशासी अधिकारी/पर्यवेक्षण अधिकारी के अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से उस जो स्थान पर या उस भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिये अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी हो किसी भी प्रकार की छेड़–छाड़ नहीं करेगा न उसे बिगाड़ेगा न नष्ट करेगा और न बेकार करेगा। यदि किसी व्यक्ति

द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो अधिशासी अधिकारी रचना को बनवायेगा या उस सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्चा उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानो वह समपत्ति कर का बकाया हो।

9– घर के पात्र या बर्तन– घर, भवन, शेड (सायवान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन, बाल्टी, डिब्बा या अन्य सामान साबूत या टूटा हुआ, इस तरह से नही रखेगा कि उसमें पानी जमा होने की संभावना हो या पानी भरा रहें, जिसमें मच्छर पैदा हों।

10– निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण करने, रेलवे लाइन डालने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोरो पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहे। जहां भी सम्भव और व्यवहार्य हो इन बोरपिटों के किनारे को साफ रखा जाये। एक (01) प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चा इस काम के लिये किया जाये। बोरोपिट के तले में इस प्रकार का ढाल और रूप दिये जाये नालियों से पानी एक बोरोपिट से निकलकर दूसरे में चला जायें और आखिर मे सबसे समीप नाले में मिल जाये। कोई व्यक्ति अलग से कोई बोर पिट ना बनवायेगा। जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हो।

यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना का कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद या इन उपबन्धों के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्माण कार्य हो, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार भी उलझी हो, तो मामले में भारत सरकार का फैसला अन्तिम होगा।

11– स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिसर (प्रेमिसेज) में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार– इन उपनियमों के प्रवर्तन हेतु अधिशासी अधिकारी या पर्यवेक्षण अधिकारी अथवा इस कार्य हेतु नामित अन्य अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवेक सम्मत समय पर घरों में प्रवेश कर सकेंगा। वह अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन या भवन में प्रवेश कर सकेगा और इस जमीन अथवा भवन का मालिक या किरायेदार जैसा भी हो, प्रवेश और निरीक्षण में अपनी पूरी सहायता देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मलेरिया/संचारी रोग नियंत्रण कार्य में जरूरत है।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पंचायत पाकबडा, मुरादाबाद अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा 299 द्वारा शक्ति के अधीन नगर पंचायत पाकबडा, मुरादाबाद यह निर्देश देती है कि इस उपविधि के प्राविधान के उल्लंघन पर रु0 1,000.00 तक जुर्माना किया जा सकेगा और अपराध जारी रहने पर प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हों 50.00 रुपये तक हो सकता है। अर्थदण्ड की धनराशि न भुगतान करने पर कारावास से दण्डित होगा, जो 06 माह तक हो सकता है।

मौ0 याकूब,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत पाकबडा,
जनपद मुरादाबाद।

कार्यालय, नगर पंचायत डेरवा बाजार, जनपद-प्रतापगढ़

15 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 335/न0प0डे0बा0/2025-26–नगर पंचायत डेरवा बाजार, जनपद प्रतापगढ़ में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 (2) के शीर्षक (ए)(बी)(सी) तथा जे0डी0 एवं धारा-212क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा के बाहर 5 किलोमीटर की परिधि में भवन निर्माण उपविधि बनाई है। जिसका नगर पंचायत डेरवा बाजार बोर्ड प्रस्ताव संख्या-06 दिनांक 12 अगस्त, 2024 द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया है जिसे दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' के पेज-10 पर दिनांक 19 जनवरी, 2025 दिन रविवार एवं ''लोक मित्र'' के पेज-7 पर दिनांक 18 जनवरी, 2025 दिन शनिवार को इस कार्यालय के पत्र संख्या-473/न0पं0डे0बा0/2024-25 दिनांक 17 जनवरी, 2025 द्वारा नगर सीमा क्षेत्रान्तर्गत आम जनमानस से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे जाने हेतु प्रकाशित कराया गया। निर्धारित अवधि प्रकाशन की तिथि से 21 दिन के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं

हुये तद्उपरान्त उपरोक्त विज्ञप्ति का पुनः प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' के पेज-12 पर दिनांक 06 मार्च, 2025 दिन वृहस्पतिवार एवं ''लोक मित्र'' के पेज-7 पर दिनांक 05 मार्च, 2025 दिन बुधवार को इस कार्यालय के पत्र संख्या-585/न0पं0डे0बा0/2024-25 दिनांक 04 मार्च, 2025 द्वारा अन्तिम प्रकाशन के आलोक्य में तैयार उपरोक्त उपविधि दर या अन्य सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति अपनी आपत्ति सुझाव नगर पंचायत डेरवा बाजार के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकाशन की तिथि से 21 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः बोर्ड प्रस्ताव संख्या-43 दिनांक 18 सितम्बर, 2025 के द्वारा सर्व सम्मति से उपविधि को उसी रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जो गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

1– **संक्षिप्त नाम व विस्तार–**

(1) यह उपविधि भवन एवं प्रोजेक्शन उपविधि, 2025 नगर पंचायत डेरवा बाजार, जनपद प्रतापगढ़ कहलायेगी।

(2) यह उपविधि उ0प्र0 सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

(1) ''भवन निर्माण'' से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा के अन्दर होने वाले किसी भी भवन के नये निर्माण, पुनर्निमाण वर्तमान भवन में परिवर्तन आदि से है तथा नगर पंचायत की सीमा के 5 कि0मी0 बाहर तक लागू रहेगी।

(2) ''प्रोजेक्शन'' से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा के अन्दर सार्वजानिक एवं सरकारी सड़क या नाली के ऊपर छज्जा या चबूतरा आदि के निर्माण से है।

(3) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत में नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

3– (1) नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के किसी भवन या उसके किसी स्थान में निर्माण, पुर्निर्माण या उसमें सारवान परिवर्तन अथवा बड़ा करने के अभिप्राय से अथवा छज्जा या चबूतरा बनाने के अभिप्राय से व कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक को धारा-178(1) के अन्तर्गत नगर पंचायत को नोटिस देना होगा–

[क] प्रार्थी को स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि रु0 10.00 के कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर होगा।

[ख] इस प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी को दो मानचित्र प्रस्तुत करने होंगे। इन मानचित्रों में प्रस्तावित मकान का पूर्ण विवरण दिया जावेगा तथा यह भी दर्षाया जावेगा। कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दषा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

[ग] प्रार्थी इन मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहॉ निर्माण कार्य करना चहता है उसकी अपनी है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

[घ] प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुये वह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेरवदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नवनिर्माण करना चाहता है।

[च] जिस आर्किटेक्ट से नक्शा बनवायेगा, उसी से उस भवन का अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

[छ] नक्शा ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट होंगे और दूसरा नक्शा जो नगर पंचायत डेरवा बाजार में रखा जायेगा, वह क्लाथ पेपर पर होगा। अन्य दस्तावेज जैसा पालिका अपेक्षा करें, जमा किया जायेगा।

(2) धारा 3(1) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के साथ नगर पंचायत के अवशेष करो एवं निश्चित किया गया शुल्क की रसीद लगाना अनिवार्य है इसके बिना नोटिस वैद्य नही होगा।

(3) भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत जारी न किये जाने की दशा में अदा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(4) नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के अन्दर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या किसी भवन में या उसके किसी भाग में परिवर्तन या बढाने या प्रोजेक्शन के नोटिस के साथ मानचित्र या सूचनायें दो प्रतियों में दी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक सड़कों तथा गलियों के सहनिकट दरवाजा या खिड़की खोलने के लिए मानचित्र की आवष्यकता नहीं है।

(5) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तावित स्थान का मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा और उसमें निम्नलिखित दर्शाया जायेगा।

[क] स्थल की सीमायें और उनकी माप सीमावर्ती भूमि जो उसके स्वामी की है।

[ख] भवन के सहनिकट की गलियों की चौडाई मौहल्लों का नाम, भवन की सीमायें प्रदर्शित होगी।

[ग] हर मंजिल का नक्शा शहर के सहनिकट खुलने वाले दरवारे तथा खिड़कियों आदि की स्थिति।

[घ] नक्शों में नवीन निर्माण जिसके लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया है लाल रंग से तथा पुराने भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।

[च] भवन के पास सरकारी बिजली की लाइन की क्षैतिज दूरी स्पष्ट रूप से मानचित्र पर अंकित की जायेगी।

4– निर्माण की स्वीकृति धारा-180 के अन्तर्गत की जायेगी। प्रत्येक स्वीकृति छः माह तक वैद्य होगी। किन्तु प्रार्थी द्वारा समय बढाने के प्रार्थना-पत्र पर मूल स्वीकृति से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

5– यदि निर्माण की स्वीकृति दी जाने के उपरान्त नगर पंचायत की किसी समय यह संतुष्टि हो जाये कि किसी गलत सूचना के आधार पर अनुमति ली गई है तो नगर पंचायत अनुमति रद्द कर सकती है। इस प्रकार की अनुमति के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य बिना अनुमति किया माना जायेगा।

6– अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी तथा इनके द्वारा अधिकृत सदस्य या कर्मचारी किसी भी समय स्वीकृति चाहने वाले कार्यों का निरीक्षण कर सकता है।

7– भवन निर्माण हेतु दी गई स्वीकृति का प्रभाव धारा-184 के अनुसार होगी।

8– चलचित्र भवन बनाने की अनुमति जिलामजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति के पश्चात प्रदान की जायेगी।

9– भवन निर्माण हेतु नक्षे में प्रोजेक्शन एवं चबूतरे का विवरण स्पष्ट अंकित किया जायेगा। प्रोजेक्शन की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जायेगी।

(1) भवन के ऊपरी मंजिल से बालकनी, बरामदा, छज्जा या अन्य प्रक्षेप ऐसी सड़क के ऊपर नहीं बनाया जायेगा जिसकी चौड़ाई 12 फिट से कम हो।

(2) किसी भी प्रक्षेप की चौडाई 3 फिट से अधिक नहीं होगी किन्तु सड़क के धरातलसे प्रक्षेप की ऊचाई 12 फिट से कम नहीं होगी।

(3) यदि प्रस्तावित प्रक्षेप से बिजली की लाइन तक पहुॅच सकना सम्भव होगा तो प्रक्षेप की अनुमति न दी जायेगी। जब तक बिजली की लाइन में परिवर्तन न हो जाय।

(4) प्रत्येक प्रक्षेप के लिए शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा। यदि एक ही भवन में दो या अधिक मंजिलों पर प्रक्षेप बनते हैं तो शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा।

10– अधिनियम की धारा 186 के अन्तर्गत निर्माण को रोकने तथा निर्माण किये गये भवन को गिराने का अधिकार इन उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी होगा।

(1) इन उपविधियों की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह सब सड़कों व नलियों के ऊपर अतिक्रमण तथा प्रक्षेपों को हटाने के लिए नगरपालिका अधिनियम की धारा-211 के द्वारा नगर पंचायत को प्रदत्त किसी अधिकार को कम करती है, भले ही ऐसे अतिक्रमण तथा प्रक्षेपों के लिए स्वीकृति दे दी हो।

11– प्रस्तुत मानचित्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा धारा-180 एवं धारा 298 शीर्षक 'क' के उप शीर्षक (ज) में निहित प्रावधानों के सम्बन्ध में एवं निर्माण की रीति अभीवियों, चिमनियों, नालियों शौचालयों,संडासों, मूत्रालयों और मलकूप की स्थिति, वायु के निर्वाध संचरण को सुनिश्चित करने, आगे लगने की रोकथाम के लिये भवन के चारों ओर छोड़ा जाने वाला स्थान, मंजिलों की संख्या अन्य ऐसे विषय जिससे सतायन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता हो, भवन के बाहर ग्रीन एरिया के अनुपालन, रेनवाटर, हार्वेस्टिंग इत्यादि के सम्बन्ध में यथाशक्य विचार किया जायेगा। विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भवन में आगन या वाटिका के लिए कुछ भूमि खाली छोड़े जाये खाली भूमि के क्षेत्र का निर्धारण मौके की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जायेगा। तदुपरान्त मानचित्र हेतु स्वीकृत अध्यक्ष/अधिषासी अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

12– यदि मानचित्र अस्वीकृत किया जाता है तो पालिका द्वारा कारणों को दर्शाते हुए आपत्तियों को दुरुस्त करने की अपेक्षा की जा सकती है। तदुपरान्त पनुः आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

13– आर्किटेक्ट के लिए रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया) वार्षिक शुल्क लेकर लाईसेन्स दिया जा सकता है। लाइसेन्स की अवधि 1 अपैल से 31 मार्च होगी। लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त अन्य आर्किटेक्ट से बनाया हुआ मानचित्र अवैध करार दिया जा सकता है–

(1) यदि कोई लाईसेन्स शुदा आर्किटेक्ट नहीं है तो नक्शा किसी भी योग्यता प्राप्त आर्किटेक्ट से बनवाया जा सकता है।

(2) आवेदक के मानचित्र को तैयार कराने का दायित्व नगर पंचायत का नहीं होगा।

14– किसी सड़क या भूमि के ऊपर अपनी जगह में कोई दरवाजा, खिड़की, नाली अनुमति लेकर ही बनायी जायेगी।

15– भवन का निर्माण किसी भी कारण से नगर पंचायत की नाली/नाले/सड़क को आच्छादित नहीं करेगा।

(1) भवन के सामने के नाले को यथासम्भव लोहे का चलायमान जाल डालकर आवागमन योग्य किया जा सकता है, ताकि नाले/नालियों की सफाई में कोई बाधा न उत्पन्न हो। नाले/नालियों/सड़क के आच्छादन की स्थिति में प्रथम अपराध के लिये रु0 2,000.00 एवं अग्रेतर उल्लंघन की स्थिति में रु0 200.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(2) कोई भी भवन निर्माण सरकारी सड़क से या नाली के बाहरी किनारे से 2 फुट भूमि को छोड़कर किया जायेगा तथा गलियों में 1 फुट भूमि छोड़कर निर्माण किया जायेगा।

16– भवन निर्माण कार्य आरम्भ करने पर भवन स्वामी द्वारा नगर पंचायत को यह सूचना दी जायेगी कि कार्य आरम्भ कर दिया गया है। निर्माण कार्य पूरा किये जाने का प्रमाण-पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यह प्रस्तावित भवन तब तक पूर्णरूपेण या अंशतया अध्यासित नहीं किया जायेगा, जब तक कि पालिका इस आषय का प्रमाण-पत्र जारी न कर दे।

17– संदर्भित भवन का निर्माण अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा। निर्माण निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के लिये आवेदक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा।

18– कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली में पालिका की स्वीकृति के बिना नाली, फर्ष का निर्माण नहीं करेगा और न ही कोई फर्श या नाली तोड़ेगा या उसमें परिवर्तन करेगा। उल्लंघन की स्थिति में प्रथम अपराध के लिये रु0 2,00.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

19– कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली में या किनारे पालिका की स्वीकृति के बिना भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण नहीं करेगा। इसके लिए नियमानुसार कार्य आरम्भ करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त भी यदि पालिका को यह विश्वास करने का कारण हो कि उक्त भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण से यातायात या सार्वजनिक आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो दी गई अनुमति समाप्त की जा सकती है।

20– भवन निर्माणकर्ता कार्य समाप्त कर सड़क पर पड़ा मैटरियल/मलवा आदि साफ करायेगा और गढ्ढे आदि भरवायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली/नाला/नाली में या किनारे पालिका की स्वीकृति के बिना भवन के मलबे का भण्डारण नहीं करेगा। यदि पालिका को यह विश्वास करने का कारण हो कि उक्त भवन के मलबे के सड़क/नाली/नाले में भण्डारण से यातायात या सार्वजनिक आवागमन/जल निकासी में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो पालिका उसे 24 घण्टे में हटाने की अपेक्षा व्यक्ति से कर सकती है और उल्लघन की स्थिति में अर्थदण्ड आरोपित कर सकती है।

21– यदि कोई निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया जाता है, तो अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर या आवेदक द्वारा निर्माण के पश्चात स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर यदि वह निर्माण इस उपविधि के अन्तर्गत दी गई शर्तों के अनुरूप बनाया गया है तो उसको स्वीकृति भी दी जा सकती है। ऐसी स्वीकृति के लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 20 गुना अर्थदण्ड अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार किया जा सकता है।

22– नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 212(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पंचायत की सीमा के बाहर से 5 कि0मी0 की दूरी तक समस्त भवन, मार्ग या नाली के निर्माण इस उपविधि से नियंत्रित या विनियमित होंगे अर्थात यह उपविधि सीमा के बाहर 5 कि0मी0 की दूरी तक प्रभावी होगी।

23– स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शुल्क अग्रिम देय होगा।

अनुसूची

क्रम स0	स्वीकृत योग्य मर्दे	दरे
1	2	3
		रुपये–
01	मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रार्थना-पत्र का शुल्क	500.00
02	आवासीय भवन/कॉलोनी प्लान निर्माण/पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन के लिए दर	50.00 प्रति वर्ग मीटर।
03	व्यवसायिक एवं आवासीय तथा केवल व्यवसायिक/वाणिज्यिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवन/कॉलोनी प्लान के निर्माण/पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन के लिए दर	200.00 प्रति वर्ग मीटर।
04	बहुमंजिला आवासीय बिल्डिंग काम्प्लेक्स	500.00 प्रति वर्ग मीटर।
05	बहुमंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग काम्प्लेक्स	1,000.00 प्रति वर्ग मीटर।
06	खिडकी, दरवाजे, नाली आदि के निर्माण के लिए	500.00 प्रति
07	अवधि बढाये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र का शुल्क	500.00
08	छज्जा, बालकनी, चबूतरा के लिए शुल्क	200.00 वर्ग मीटर
09	निर्माण सामग्री सार्वजनिक सड़क के किनारे रखने हेतु शुल्क (प्रति 50 वर्ग फिट पर)	प्रथम 2 दिन निःशुल्क अतिरिक्त प्रति 10 दिन रु0 1,000.00।
10	सड़क व नालियों में भवन का जमा मलवा नगर पंचायत के कार्मियों द्वारा हटाने हेतु शुल्क	5,000.00 एकमुश्त।
11	मात्र दीवार निर्मित कराने हेतु	25.00 प्रति मीटर।

नोट–

(1) प्रत्येक मंजिल का शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा।

(2) दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिषत की बढोत्तरी होगी जो वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल से लागू होगी। इन शुल्क बढोत्तरी को पॉच वर्ष पश्चात लागू रखने के लिए नगर पंचायत पुनः विचार कर सकती है।

(3) यदि कोई दुकान, रेस्टोरेन्ट या गोदाम किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था के द्वारा बनायी जा रही है तो उसकी फीस, उपरोक्त दरों की 1/2 होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर, धर्मशाला या अन्य कोई पूजा गृह जिसमें किराये आदि की व्यवस्था न हो वह निःषुल्क होगा।

(4) भूमिगत तल की अनुमति सामान्यतया नहीं दी जायेगी। अनुमति विषेष परिस्थिति में प्रस्तावित भवन के आसपास के भवनों एवं सार्वजनिक सड़क/नाली की स्थिति को ध्यान में रखकर उपरोक्त भवन श्रेणियों की दरों के 4 गुना दर पर ही दी सकेगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत डेरवा बाजार निर्देश देती है कि इस उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर रु0 1,000.00 तक अर्थदण्ड दिया जायेगा। यदि अपराध प्रथम दोष होने के दिनांक से निरंतर जारी रहा हो तो रु0 25.00 प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा।

कुँवर बहादुर पटेल
अध्यक्ष
नगर पंचायत डेरवा बाजार
प्रतापगढ़।

कार्यालय, नगर पंचायत बुगरासी, जनपद-बुलन्दशहर

01 मई, 2025 ई0

सं0 03/न0पं0बुगरासी/प्रकाशन–नगर पंचायत बुगरासी जनपद-बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं मे अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-294 व धारा 298(1) व धारा-299 के अधीन ''नगर पंचायत बुगरासी की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने'' के सम्बन्ध में उपविधियों को नगर पंचायत के विशेष संकल्प संख्या-03 दिनांक 01 मई, 2025 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत जनसामान्य एवं प्रभावित होनें वालें व्यक्तियों की आपत्ति एंव सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 13 मई, 2025 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या-05 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'विशाल विश्व मानव' स्याना दिनांक 13 मई, 2025 के पृष्ठ संख्या-02 व 03 पर प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन पर नियत अवधि में जनसामान्य/प्रभावित होनें वालें व्यक्तियों की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

उपरोक्त स्थिति में सम्यक विचार विमर्श उपरान्त नगर पंचायत बुगरासी द्वारा सर्वसम्मति से विशेष संकल्प संख्या-02 दिनांक 16 जुलाई, 2025 से सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि हेतु 'नगर पंचायत बुगरासी' की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने सम्बन्धी उपविधियों का अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। उक्त उपविधियां दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक जो भी बाद में हो, से प्रवृत्त होगी जिसका प्रकाशन उपरोक्त पालिका अधिनियम की धारा-301(2) के अधीन किया जाता है।

उपविधियाँ

1– (1)– यह उपविधियाँ नगर पंचायत बुगरासी, जनपद-बुलन्दशहर की ''नगर पंचायत बुगरासी की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने'' की उपविधि कहलायेगी।

(2)– यह सम्पूर्ण नगर पंचायत बुगरासी क्षेत्र में प्रवृत होंगी।

(3)– यह उपविधि 01 अप्रैल, 2025 अथवा प्रख्यापित किये जानें की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषायें – विषय-प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होनें पर इस उपविधि में।

(1)– ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) से है।

(2)– ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत बुगरासी के अधिशासी अधिकारी से है।

(3)– ''चेयरपर्सन'' से तात्पर्य नगर पंचायत बुगरासी के चेयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है।

(4)– ''अनुज्ञा'' का अभिप्राय इस उपविधि के अधीन प्रदत्त ''अनुज्ञा'' से है।

(5)– ''वर्ष'' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(6)– ''अनुज्ञा (लाइसेन्स) अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी से है।

(7)– ''निरीक्षक'' का तात्पर्य नगर पंचायत बुगरासी के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगर पंचायत बुगरासी के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के अर्न्तगत निरीक्षण के लिये नियुक्त किया गया हो।

(8)– ''विज्ञापन/प्रचार'' से तात्पर्य नगर पंचायत बुगरासी की सीमा में किसी भी माध्यम से किये जा रहे विज्ञापन/प्रचार से है जिसमें होर्डिंग, बैनर, कटआउट, लोकल टी0वी0 के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यन्त्र से, पम्पलेट/पर्चे चाहें व दीवारों पर चिपकाये जायें अथवा किसी समाचार-पत्र में रखकर बंटवाये जाये, दीवार पेन्टिंग आदि से है परन्तु इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपनें कार्यस्थल पर अपने कार्यस्थल की सीमा में बोर्ड होर्डिंग दीवार पेन्टिंग लगा अपने प्रतिष्ठान का नाम आदि लिखना शामिल नही है परन्तु अपनें कार्यस्थल की सीमा से बाहर यदि कोई बोर्ड/होर्डिंग आदि लगाया जायेगा तब वह इस परिभाषा में आयेगा।

(9)– ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

3– नगर पंचायत के द्वारा अपने क्षेत्र में विज्ञापन/प्रचार करने वाले व्यक्ति से विज्ञापन/प्रचार का शुल्क प्राप्त करेगी जो कि निम्न प्रकार लिया जायेगा।

(1)– होर्डिंग/कटआउट से विज्ञापन/प्रचार करने में रु0 5.00 प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)।

(2)– बैनर से विज्ञापन/प्रचार करने में रु0 2.00 प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये) ।

(3)– ग्लोसाईन बोर्ड से विज्ञापन/प्रचार करने में रु0 10.00 प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये) ।

(4)– दीवार पेन्टिंग से विज्ञापन/प्रचार करने में रु0 2.00 प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये) ।

(5)– 2 वर्ग फुट या बड़े पोस्टर चिपकाकर विज्ञापन/प्रचार करने में रु0 500.00 प्रति सौ पोस्टर ।

(6)– 2 फुट से कम पोस्टर चिपकाकर विज्ञापन/प्रचार करने में रु0 200.00 प्रति सौ पोस्टर ।

(7)– समाचार-पत्र में पर्चे निकलवा कर विज्ञापन/प्रचार करने में रु0 100.00 प्रति हजार ।

(8)– लोकल टी0वी0 पर स्लाईड लगाकर विज्ञापन/प्रचार करने में रु0 500.00 (प्रतिमाह) ।

(9)– ध्वनि विस्तारक यन्त्र से विज्ञापन/प्रचार करने में रु0 100.00 प्रतिदिन ।

उपरोक्त दर नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में नगर पंचायत की बोर्ड के द्वारा या प्राप्त शासनादेश के अनुसार अधिशासी अधिकारी/चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

(1)– उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य माध्यम से प्रचार/विज्ञापन किया जाता है तब उसका शुल्क निर्धारित करनें का अधिकार नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को होगा।

(2)– उपरोक्त शुल्क केवल विज्ञापन/प्रचार का शुल्क है इसमें विज्ञापन/प्रचार सामग्री को निर्मित करनें का कोई शुल्क नही है उक्त निर्माण का व्यय स्वयं पक्षकार के द्वारा वहन किया जायेगा।

4– नगर पंचायत के द्वारा विज्ञापन/प्रचार की शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा परन्तु यदि किसी कारण वश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सके तो बोर्ड अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारीयों को नियुक्त किया जा सकता है।

5– ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगी चाहें किन्ही कारण वश ठेका 1 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में आपत्ति करने का कोई अधिकार ना होगा।

6– ठेकेदार को ठेका लेनें के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है जिसमें होनें वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होनें के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नही होगी तथा पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

7– ठेकेदार ठेके की राशि के 1/4 भाग को ठेका लेते समय ही नगर पंचायत में जमा करेगा तथा शेष 3/4 धनराशि तीन किश्तों में क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी तक प्रत्येक स्थिति में जमा करेगा नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा।

8– ठेके की अन्य शर्तें नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

9– ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) उपरोक्त विज्ञापन/प्रचार की शुल्क वसूली उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त वसूल नही करेगा।

10– ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसको नगर पंचायत के द्वारा पूरे वित्तिय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।

11– ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी वसूली के लिये एक रजिस्टर भी रखेगा जिसमें प्राप्त शुल्क आदि अंकित किया जायेगा रजिस्टर पूर्ण होनें के बाद ठेकदार/कर्मचारी रजिस्टर को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसे नगर पंचायत में कम से कम 3 वर्षों के लिये सम्भाल कर रखा जायेगा।

12– ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी किसी निजि सम्पत्ति पर सम्पत्ति के स्वामी की सहमति के बिना विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिंग/कटआउट, ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगानें के लिये अनुमति नही देंगे।

13– ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी किसी ऐसे स्थान पर विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिंग/कटआउट, ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगानें के लिये अनुमति नही देंगे जिससे मार्ग अवरूद्ध हो रहा हो अथवा आम जनता को कोई असुविधा हो रही हो अथवा स्थल का सौन्दर्य खराब हो रहा हो।

14– ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी ऐसी सम्पत्ति पर भी विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिंग/कटआउट ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगानें के लिये अनुमति नही देंगे जिस पर आम जनता के द्वारा आपत्ति की जा रही हो।

15– ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी ऐसे किसी भी प्रचार/विज्ञापन की अनुमति नही देंगे जो कि भ्रामक, भड़कावे वाला अथवा अन्य किसी प्रकार से अनैतिक, अश्लील अथवा कानून के विरूद्ध हो।

16– ध्वनि प्रसारक यंत्र से प्रचार/विज्ञापन अनुमति केवल दिन के 10 बजे से रात्रि के 8 बजे तक ही दी जायेगी। परन्तु परीक्षा के दिनों में अथवा ऐसे दिनों में जिसमें इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार/विज्ञापन की अनुमति देना उचित ना हो न दी जायेगी।

17– केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पंचायत के द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिये किये गये विज्ञापन/प्रचार एवं ऐसे विज्ञापन/प्रचार जो किसी गुमशुदा की तलाश अथवा किसी सामाजिक उत्थान व समाज सेवा आदि के लिये बिना किसी लाभ के लिये किये जा रहे हों के लिये कोई शुल्क देय नही होगा।

18– नगर पंचायत के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जोकि इस उपनियम अथवा नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरूद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरूद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होनें से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

19–यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्ही उपबन्धों अथवा इन उपनियमों द्वारा उन पर आरोपित किन्ही अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है तो उसके विरूद्ध नगर पंचायत के द्वारा कार्यवाही की जायेगी और दोष सिद्ध होनें पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि नगर पालिका अधिनियम की धारा-299 के अनुसार अंकन 1,000 रु0 तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होनें की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) तक हो सकता है।

20–यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

21– उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होनें की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

ओमदत्त लोधी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बुगरासी,
जनपद-बुलन्दशहर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिव बालक विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार है जो मेरे बैंक पासबुक, पैन कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड एवं उप जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 7693 3939 1081 में मेरा नाम रज्जू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिव बालक विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शिव बालक विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार,
पता– 62 ग्राम इमलीपुर कासिगवा,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रतिष्ठा सिंह (Pratishtha Singh) पुत्री राकेश कुमार भारती है जो इसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–4005 4945 8320 में उसका नाम मनस्वी (Manashvi) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रतिष्ठा सिंह (Pratishtha Singh) पुत्री राकेश कुमार भारती के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राकेश कुमार भारती पुत्र स्व0 शम्भू लाल,
पता– एच0आई0जी0 प्लाट नं0 4,
प्रीतम नगर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेन्द्र कुमार गुप्ता (RAJENDRA KUMAR GUPTA) पुत्र विश्व नाथ प्रसाद गुप्ता (VISHWA NATH PRASAD GUPTA) है। जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9838 9352 0882 में मेरा नाम (RAJENDAR KUMAR GUPTA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजेन्द्र कुमार गुप्ता (RAJENDRA KUMAR GUPTA) पुत्र विश्व नाथ प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजेन्द्र कुमार गुप्ता,
पुत्र विश्व नाथ प्रसाद गुप्ता,
पता–40/5 परेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम सलमा (SALMA) पुत्री जहीर खान (ZAHEER KHAN) पत्नी स्व0 मेराज अली (MERAJ ALI) निवासिनी–522, अतरसुईया, सम्दाबाद, प्रयागराज, उ0प्र0–211003 है जो शपथकर्ती के आधार कार्ड, पैन कार्ड व हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पति के पी0पी0ओ0 सं0–20157320202190 में शपथकर्ती का नाम त्रुटिवश सलमा वारसी अंकित हो गया है, जो कि गलत हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सलमा (SALMA) पुत्री जहीर खान पत्नी स्व0 मेराज अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सलमा पुत्री जहीर खान पत्नी स्व0 मेराज अली,
निवासिनी– 522, अतरसुईया, सम्दाबाद,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया (SHREYA) पुत्री सनदीप त्रिवेदी (SANDEEP TRIVEDI) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड संख्या–9409 5762 8261 में अंकित है। मैने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम श्रेया (SHREYA) से बदलकर श्रुतिकीर्ति त्रिवेदी (SHRUTIKIRTI TRIVEDI) रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को श्रुतिकीर्ति त्रिवेदी (SHRUTIKIRTI TRIVEDI) पुत्री सनदीप त्रिवेदी (SANDEEP TRIVEDI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सन्दीप त्रिवेदी, पुत्र शिव कुमार त्रिवेदी,
निवासी–538क/639 आदर्शपुरम, त्रिवेणी नगर-3,
सीतापुर रोड, निराला नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता जी का शुद्ध नाम ललित कुमार दुबे (Lalit Kumar Dubey) है जो उनके आधार कार्ड पैन कार्ड, पर अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल प्रमाण पत्र सह अंक पत्र (अनुक्रमांक 51184821 वर्ष 2014) में मेरे पिता जी का नाम एल0के0 दुबे (L.K. Dubey) अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आलोक कुमार दूबे,
पता–जी–1–201, कालिंदीपुरम्,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उत्कर्ष (UTKARSH) पुत्र स्व0 छंगा लाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8722 2033 3948 में उसका नाम रितेश कुमार (RITESH KUMAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उत्कर्ष (UTKARSH) पुत्र स्व0 छंगा लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मालती देवी पत्नी स्व0 छंगा लाल,
निवासी – शिवनाम, बाराबंकी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अक्षत पाण्डेय पुत्र पुष्पेन्द्र पाण्डेय है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–4669 5808 5460 में उसका नाम समी पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षत पाण्डेय पुत्र पुष्पेन्द्र पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पुष्पेन्द्र पाण्डेय पुत्र बद्री प्रसाद पाण्डेय,
निवासी– ग्राम खपटिहा बम्बुरी खाप्तिहा,
चित्रकूट, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम अव्यान गौतम (AVYAAN GAUTAM) पुत्र पुष्पेन्द्र कुमार गौतम है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार

अपने पुत्र का नाम अवयान गौतम (AVYAAN GAUTAM) से बदल कर अव्यान राज गौतम रख (AVYAN RAJ GAUTAM) रख लिया है, भविष्य में मेरे पुत्र को अव्यान राज गौतम रख (AVYAN RAJ GAUTAM) पुत्र पुष्पेन्द्र कुमार गौतम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पुष्पेन्द्र कुमार गौतम पुत्र स्व0 सीताराम,
पता–बी0एस0–268 बरसाना सेक्टर,
पी0डी0ए0 कालोनी कालिन्दीपुरम्,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिंह निशिकुमारी गजेंद्र पुत्री गजेंद्र सिंह है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, पैन कार्ड, में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–4373 2113 1793 में मेरा नाम निशि राय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सिंह निशिकुमारी गजेंद्र पुत्री गजेंद्र सिंह पत्नी कौशिलेश कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सिंह निशिकुमारी गजेंद्र पुत्री गजेंद्र सिंह,
पत्नी कौशिलेश कुमार राय,
निवासी– महादेव झारखंडी टुकड़ा नम्बर-1,
नियर शिव मंदिर दिव्या नगर कालोनी,
खोराबार उर्फ सूबाबाजार, कुनराघाट,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति सिंह पुत्री संत बक्श सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–9478 1611 2611 में उसका नाम अविका सिंह है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति सिंह पुत्री संत बक्श सिंह से ही जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संत बक्श सिंह, पुत्र स्व0 देवराज सिंह,
निवासी– माधोपुर निनैया सलोनी,
जिला रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राम पियारे मौर्या पुत्र सुखराम मौर्या है, जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, खतौनी एवं उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–5245 1426 0356 में रामा प्यारे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राम पियारे मौर्या पुत्र सुखराम मौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम पियारे मौर्या पुत्र सुखराम मौर्या,
निवासी–ग्राम 105 एवं भदौसी गड़वारा,
तहसील सदर जिला प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कमला देवी पत्नी स्व0 मन्तू लाल है जो मेरे पति के सेवा सम्बंधित अभिलेख, परिवार रजिस्टर की नकल, खतौनी, निर्वाचन कार्ड एवं उपजिलाधिकरी की जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9526 4195 5424 में मेरा नाम केला देवी अंकित हो गया है जो कि गलत हैं भविष्य में मुझे मेरे सही नाम

कमला देवी पत्नी स्व0 मन्तू लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कमला देवी पत्नी स्व0 मन्तू लाल ,
निवासी– अम्बाई बुजुर्ग कड़ा कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम विद्या देवी पत्नी महेश चन्द्र कश्यप है जो आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल की अंक प्रमाण, अनुक्रमांक 23220035/2022 में मेरी माता का नाम विद्या कश्यप अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में शपथकर्ता की माता का नाम विद्या देवी पत्नी महेश चन्द्र कश्यप के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

हर्ष कश्यप पुत्र महेश चन्द्र,
निवासी– मकान संख्या 441 HN/264N,
जल निगम रोड, हरी नगर बालागंज, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयरा सिद्दीकी पुत्री आसिफ सुलेमान सिद्दीकी है जो कि उसके आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्री का नाम आयरा सिद्दीकी से बदलकर मैमूनाह सिद्दीकी (Maimunah Siddiqui) रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मैमूनाह सिद्दीकी पुत्री आसिफ सुलेमान सिद्दीकी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सय्यद आयशा पत्नी आसिफ सुलेमान सिद्दीकी,
पता– मो0 सुलेमान एंड संस, एम ए समद,
इण्टर कॉलेज के पास बाजार रूस्तम खां,
भदोही सन्त रविदास नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सिद्धार्थ सिंह चौहान है, और पिता का नाम अजय सिंह चौहान एवं माता का नाम सुमन सिंह है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र एवं स्कूल के प्रमाण-पत्र में भी यही अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-7478 6194 9811 में मेरे पुत्र का नाम वैभव सिंह चौहान अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम सिद्धार्थ सिंह चौहान पुत्र श्री अजय सिंह चौहान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अजय सिंह चौहान,
पुत्र स्व० तेज बहादुर सिंह चौहान,
निवासी–238, शेखपुरा कालोनी आंशिक, अलीगंज,
जिला लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रज्ञा यादव पुत्री नन्द किशोर यादव है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–2108 2830 6203 में मेरा नाम खुशी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रज्ञा यादव पुत्री नन्द किशोर यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रज्ञा यादव पुत्री नन्द किशोर यादव,
निवासी–ग्राम-टांडी, मोहल्ला-आजाद नगर,
पो०-उरुवा बाजार, जिला-गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंकित तिवारी पुत्र संजय तिवारी है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या– 3787 6564 1013 मैं मेरा नाम परितोष तिवारी अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंकित तिवारी पुत्र संजय तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वरा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वंय मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अंकित तिवारी पुत्र संजय तिवारी,
नि० परमानन्द पूर पो० रेवतीपुर,
जिला गाजीपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ऋचा पाल (RICHA PAL) पुत्री अखिलेश पाल है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है । त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9845 3134 6745 में मेरा नाम ऋचा (RICHA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है । भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ऋचा पाल (RICHA PAL) पुत्री अखिलेश पाल के नाम से जाना व पहचाना जाय ।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं ।

ऋचा पाल पुत्री अखिलेश पाल,
निवासी– नेवादा मुखलिसपुर जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनिकिता (ANIKITA) पुत्री अरविन्द है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री का आधार कार्ड बनाते समय अनिकिता (ANIKITA) के स्थान पर अंकिता लिख दिया गया है, जो पूर्णतया गलत है। जिसका आधार सं- 8103 7970 8431 है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनिकिता (ANIKITA) पुत्री अरविन्द के नाम से जाना, पहचाना व लिखा व पढ़ा जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतॉए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अरविन्द, पुत्र लाल चंद्र,
पता– 63ए, एलनगंज प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व शुक्ला (Atharv Shukla) पुत्र श्याम शुक्ला (Shyam Shukla) है। जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5698 2284 3468 में उसका नाम मणि शुक्ला (Mani Shukla) अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अथर्व शुक्ला (Atharv Shukla) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्याम शुक्ला पुत्र स्व० फूल चन्द्र शुक्ला,
निवासी – 367 बादशाही मण्डी,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम भाव्या केसरवानी (Bhavya

kesharwani) पुत्री संतोष परदेशी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड स0 8469 3493 7686 में उसका नाम निवरिती संतोष परदेशी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम भाव्या केसरवानी पुत्री संतोष परदेशी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भावना केसरवानी पत्नी संतोष परदेशी,
पता 218 B/K जयंतीपुर सुलेमसराय,
तहसील सदर, प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम खुशबू देवी पुत्री अभिलाष है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड स0 7576 4464 2269 में उसका नाम मुस्कान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम खुशबू देवी पुत्री अभिलाष के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अभिलाष पुत्र राम चन्द्र,
नि– सिंहपुर माफी बांदा सिंहपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रद्धा द्विवेदी पुत्री राज दीपक द्विवेदी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रृटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या 5282 6265 2364 में उसका नाम देविका राज द्विवेदी अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम श्रद्धा द्विवेदी पुत्री राज दीपक द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राज दीपक द्विवेदी
पता– शक्तिनगर, पूरे ईश्वरनाथ
प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मुस्कान वर्मा पुत्री महेन्द्र वर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड स0 6021 3678 1977 में उसका नाम मुस्कान केसरवानी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मुस्कान वर्मा पुत्री महेन्द्र वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दीपा वर्मा पत्नी महेन्द्र वर्मा
पता– 115 बलुआघाट इस्कॉन मंदिर के पास,
तहसील सदर प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम संजू देवी पत्नी राजेश यादव है। जो कि मेरे राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड एवं श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय की जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या– 5750 9569 7001 में मेरा नाम सरून यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम संजू देवी पत्नी राजेश यादव के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतत द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संजू देवी पत्नी राजेश यादव,
निवासी – पिपरिस दुनकापुरा,
तहसील भदोही भदोही, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कोमल मोदनवाल पुत्री अखिलेश मोदनवाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०–6805 5466 1917 मेरा नाम कुमकुम मोदनवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कोमल मोदनवाल (KOMAL MODANWAL) पुत्री अखिलेश मोदनवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कोमल मोदनवाल पुत्री अखिलेश मोदनवाल
ग्रा० ठठरा पोस्ट कछवारोड,
जिला वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पप्पूराम पुत्र शारदा प्रसाद (PAPPURAM S/o SHARDA PRASAD) है जो मेरे अभिलेख जैसे निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड, परिवार रजिस्टर एवं उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0- 7177 1773 8836 में मेरा नाम राजेश (RAJESH) हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पप्पूराम पुत्र शारदा प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पप्पूराम पुत्र शारदा प्रसाद,
नि० बरुई म० पहरा तह०कर्वी,
जनपद– चित्रकूट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम जैनब फातिमा पत्नी मो० परवेज आलम है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, गैस पासबुक, जन्म प्रमाणपत्र और उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 2186 9227 4350 में मेरा नाम सोनी बेगम पत्नी मों० परवेज आलम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जैनब फातिमा पत्नी मो० परवेज आलम के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जैनब फातिमा पत्नी मो० परवेज आलम,
निवासिनी–तिल्हापुर मोड़, पेरई,
तहसील चायल कौशाम्बी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ओमकार चौरसिया (OMKAR CHAURASIA) पुत्र सोनू चौरसिया है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधारकार्ड संख्या–9718 5215 9984 में उसका नाम पर्थ चौरसिया (PARTH CHAURASIA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में उसके सही नाम ओमकार चौरसिया (OMKAR CHAURASIA) पुत्र सोनू चौरसिया के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सोनू चौरसिया,
मकान नं० एस–21/9, इंग्लिशिया लाईन,
कैण्ट, जिला वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शाश्वत शुक्ला (Shashwat Shukla) पुत्र रोहित शुक्ला है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में

अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड स0 2914 4292 9035 में उसका नाम बेबी ऑफ नेहा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शाश्वत शुक्ला पुत्र रोहित शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतामें स्वय मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रोहित शुक्ला पुत्र अरुण शुक्ल,
नि0– बीबीपुर मटिहा रायबरेली उ० प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनुभव प्रताप सिंह पुत्र गजानन्द यादव है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0- 5066 4215 4022, में उसका गलत नाम ऋधांश यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य मे मेरे पुत्र को सही नाम अनुभव प्रताप सिंह पुत्र गजानन्द यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतदद्वारा द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पुर्णिमा पत्नी गजानंद यादव,
कुशाहिल डीह बैरहना,
गोतनी उपरहार, प्रतापगढ।

सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रिंस तिवारी पुत्र संतोष तिवारी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0- 4701 2994 6934 में उसका नाम जेकोब तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रिंस तिवारी पुत्र संतोष तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पूनम तिवारी पत्नी संतोष तिवारी
नि0 बसवार खुर्द बसवार कलां,
अयोध्या (फैजाबाद) उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सत्यम कुमार यादव (Satyam Kumar Yadav) पुत्र राजेश कुमार यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0- 4469 8895 0785 में उसका नाम अंश यादव अंकित हो गया है. जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सत्यम कुमार यादव पुत्र राजेश कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

स्नेहलता यादव पत्नी राजेश कुमार यादव,
नि0– टोला नंदापार सियारामपुर,
रामपुर गोपालपुर सहजनवा
गोरखपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयु गुप्ता पुत्र शिव बाबू केसरवानी है जो कि उसके आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम आयु गुप्ता से बदलकर समर्थ केसरवानी रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को समर्थ केसरवानी पुत्र शिव बाबू केसरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिव बाबू केसरवानी पुत्र श्रीनाथ केसरवानी,
नि0 वार्ड नंबर 12 सदर बाजार,
टला प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुखराना, पत्नी वासुदेव है जो मेरे पति के सेवा सम्बन्धी अभिलेख, खतौनी, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड, जिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड नं0–3029 3203 9194 में मेरा नाम सुखरानी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सुखराना पत्नी वासुदेव के नाम से ही जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्राणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुखराना पत्नी वासुदेव,
निवासी–ग्राम सरौरा, पोस्ट इसिया,
तहसील महराजगंज, जनपद रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मनीषा (MANISHA) पुत्री शिव सहाय है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–6538 5552 8673 में नाम मनीष (MANISH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मनीषा (MANISHA) पुत्री शिव सहाय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मनीषा पुत्री शिव सहाय,
निवासी ग्राम–अंधरौरा सीहागांव,
जिला–गोण्डा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम साहिबा शेख पुत्री जाहिद अली है, जो मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रृटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9949 1935 1952 में मेरा नाम शाएबा शेख अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम साहिबा शेख पुत्री जाहिद अली के नाम से जाना व पहचाना व जाये ।

साहिबा शेख पुत्री जाहिद अली,
निवासी- पूरे पितई क रनपुर,
जिला प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. VINEET KUMAR GUPTA AND ASSOCIATES, 117/143 'Q' Block, Sharda Nagar, Kanpur Nagar, U.P.- 208025 का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन रजि०सं० KAP/0020769 पर दिनांक 03 मार्च, 2020 में हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 17 मार्च, 2020 के अनुसार फर्म में श्री अनिल तिवारी, श्री सुधीर कुमार व श्री विनीत कुमार गुप्ता साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 27 मार्च, 2026 के अनुसार साझीदार श्री अनिल तिवारी बालिग पुत्र श्री योगेन्द्र नाथ तिवारी निवासी फ्लैट नं0 802, टावर–3, एमराल्ड गार्डन, कानपुर नगर, उ0प्र0 208002 स्वइच्छा से पृथक् हो गये हैं। अब फर्म में श्री सुधीर कुमार व श्री विनीत कुमार गुप्ता साझीदार हैं। फर्म का पता– अब 117/143B, 'Q' Block, Sharda Nagar, Kanpur Nagar, U.P. 208025 कर दिया गया है।

सुधीर कुमार,

पार्टनर,

M/s. VINEET KUMAR GUPTA

AND ASSOCIATES,

117/143 'Q' Block, Sharda Nagar,

Kanpur Nagar, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सुरेश चन्द पता– 105, हरदेव सहाय मौहल्ला, गाजियाबाद पंजीकरण संख्या–28166-एम, दि० 19 जून, 2015 की फर्म साझेदारी दि० 01 अप्रैल, 2015 के अनुसार साझीदार-श्री सुरेश चन्द जैन व श्री सचिन जैन थे। साझीदारीनामा दि० 26 फरवरी, 2026 के अनुसार फर्म साझीदार-श्री सुरेश चन्द का देहान्त दि० 26 फरवरी, 2026 में होने व फर्म में श्रीमती रेखा जैन को नवीन साझीदार की हैसियत से सम्मलित किया गया। फर्म में वर्तमान साझीदार श्री सचिन जैन व श्रीमती रेखा जैन है।

सचिन जैन,
साझीदार,
मेसर्स सुरेश चन्द,
पता– 105, हरदेव सहाय मौहल्ला,
गाजियाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s SARVASHREE MANGLA ENTERPRISES, 1st, FLOOR VINAYAKA PLAZA AM-01 ANSAL GOLF LINK GREATER NOIDA UTTAR PRADESH 201310 की साझीदारी में MR SANDEEP KUMAR GARG, ANKUR MITTAL जी साझीदार थे। संशोधित साझेदारी डीड दिनांक 11 फरवरी, 2026 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2026 में ANKUR MITTAL फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब किताब लेकर व देकर अलग हो गये है तथा MR ANUNAY SAXENA भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गए और वर्तमान में MR SANDEEP KUMAR GARG व MR ANUNAY SAXENA, फर्म के साझीदार है। फर्म से अलग हुये साझेदारों का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेनदेन तथा दायित्व शेष नही है।

SANDEEP KUMAR GARG,
साझीदार,
M/s SARVASHREE MANGLA ENTERPRISES,
1st, FLOOR VINAYAKA PLAZA AM-01,
ANSAL GOLF LINK,
GREATER NOIDA UTTAR PRADESH.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० ड्रिक्स इन्फ्राटेक 1 फ्लोर, 03. बिहारी भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज दिनांक 19 नवम्बर, 2022 को प्रारम्भ की गयी थी। जिसमें श्री गोविन्द मिश्रा पुत्र श्री महानन्द मिश्रा निवासी– 27/70 एफ, उत्तरी लोकपुर, खरकौनी रोड, नैनी, प्रयागराज, श्री अनूप त्रिपाठी पुत्र श्री गिरीश त्रिपाठी निवासी 376/2बी, चक रघुनाथ, नैनी, प्रयागराज एवं श्री इन्द्रमणि द्विवेदी पुत्र श्री राधे श्याम द्विवेदी, निवासी– 9, लवायन खुर्द, चटकहना, नैनी, प्रयागराज साझीदार थे। वर्तमान में श्री गोविन्द मिश्रा एवं श्री अनूप त्रिपाठी दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को फर्म से रिटायर हो गये है तथा श्री अनुज द्विवेदी पुत्र श्री इन्द्र मणि द्विवेदी, निवासी– 9, लवायन खुर्द चटकहना, नैनी, प्रयागराज एवं श्री नवनीत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह निवासी बेलवन, खरसण्डवा, फतेहपुर दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को सम्मिलित हुए है। साझीदारों द्वारा आपसी सहमति से फर्म का पता परिवर्तित किया गया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से फर्म का पता– 1 फ्लोर, 03, बिहारी भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज से परिवर्तित होकर इन्फ्रन्ट ऑफ रेमन्ड, प्रयागराज हो गया है।

इन्द्र मणि द्विवेदी
साझेदार,
मे० ड्रिक्स इन्फ्राटेक
फर्म का पुराना पता 1 फ्लोर, 03, बिहारी भवन,
सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
फर्म का नया पता
इन्फ्रन्ट ऑफ रेमन्ड, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० श्री बाके बिहारी हाई टेक प्रोजेक्ट, टावर न० 8 फ्लैट न० 8203 श्री राधा एनआरआई ग्रीन सुनरख रोड वृन्दावन मथुरा, उपरोक्त फर्म के साझेदार श्रीनिधि अयंगर पुत्र श्री धुरी स्वामी अयंगर, श्री अंशुल सारस्वत पुत्र श्री विष्णु कुमार सारस्वत, श्री जुगल किशोर पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद,

श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री बाके लाल अग्रवाल, श्री प्रवीन अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री अजय कुमार बसंल पुत्र श्री विष्णु प्रसाद बसंल, श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नी श्री संतोष कुमार अग्रवाल, सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 16 सितम्बर, 2024 को संचालन की थी दिनांक 24 मार्च, 2026 से श्री विश्वनाथ गोस्वामी पुत्र स्व0 श्याम बिहारी गोस्वामी, श्री बृज बिहारी अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन अग्रवाल नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये है अब फर्म को श्रीनिधि अयंगर, श्री अंशुल सारस्वत, श्री जुगल किशोर, श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल, श्री प्रवीन अग्रवाल, श्री अजय कुमार बसंल, श्रीमती सरोज अग्रवाल, श्री विश्वनाथ गोस्वामी, श्री बृज बिहारी अग्रवाल संचालित करेगें।

श्रीनिधि अयंगर,
साझेदार,
मे० श्री बाके बिहारी हाई टेक प्रोजेक्ट,
टावर न० 8 फ्लैट न० 8203,
श्री राधा एनआरआई ग्रीन सुनरख रोड,
वृन्दावन मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० श्री राधा कृष्णा बिल्डिंग मेटेरियल, गोकुल बैराज रोड औरंगाबाद जिला मथुरा उपरोक्त फर्म में साझेदार पवन कुमार पुत्र श्री नेम सिंह, श्री प्रशान्त कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 नवम्बर, 2018 को संचालन की थी दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से श्रीमती जयाश्री पत्नी श्री प्रशान्त कुमार नये साझेदार के रूप में शमिल हो गयी है दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से पवन कुमार पुत्र श्री नेम सिंह अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नही है अब फर्म को श्री प्रशान्त कुमार, श्रीमती जयाश्री संचालित करेगें।

प्रशान्त कुमार,
साझेदार,
मे० श्री राधा कृष्णा बिल्डिंग मेटेरियल,
गोकुल बैराज रोड औरंगाबाद जिला मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० वी०जे०ए० वेयरहाउस, अमॉपुर रोड, कासगंज, जिला कासगंज में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री गर्वित सिंह, श्रीमती नूपुर सिंह, श्रीमती शिखा सोलंकी हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक–01 सितम्बर, 2016 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से श्री अशोक सिंह सोलंकी फर्म में साझेदार हो गये है एवं श्रीमती शिखा सोलंकी फर्म से पृथक हो गई है। अब फर्म को श्री गर्वित सिंह, श्रीमती नूपुर सिंह, श्री अशोक सिंह सोलंकी हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

गर्वित सिंह,
साझेदार,
मे० वी०जे०ए० वेयरहाउस, अमॉपुर रोड,
कासगंज, जिला कासगंज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि फर्म मेसर्स प्रज्ञा राइस मिल पता– B1 TO B4, इण्डस्ट्रियल एरिया सलोन रायबरेली, (उ०प्र०) जिसका पंजीकरण सं0 197712 में दिनांक 31 मार्च, 2024 को श्री रजनीश चन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० मोती लाल गुप्ता, निवासी तहसील रोड, सलोन, जनपद रायबरेली, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये है। सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री रजनीश चन्द्र गुप्ता का फर्म पर व फर्म का रजनीश चन्द्र गुप्ता पर कोई शेष बकाया नही है। वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल दो साझेदार कमशः 1– सुरेश गुप्ता 2– मंजू श्री है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरेश गुप्ता,
साझेदार,
फर्म मेसर्स प्रज्ञा राइस मिल,
पता– B1 TO B4, इण्डस्ट्रियल एरिया,
सलोन रायबरेली, (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विद्युत एसोसिएटस पता- 9, बजरिया जीटी रोड़, आर्य गेस्ट हाउस, जिला गाजियाबाद, उ०प्र० की पाटनर्स शिप डीड दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को हुई थी, संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 23 नवम्बर, 2019 के अनुसार फर्म में चार साझीदार 1. श्री अंशुमन गुप्ता 2. श्री नकुल राघव 3. श्री देव प्रताप सिंह 4. पवन गोयल थे। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 07 मार्च, 2025 के अनुसार फर्म में से साझेदार नं 3. श्री देव प्रताप सिंह व 4. पवन गोयल अपनी इच्छानुसार इस फर्म से अलग हो गये है, तथा अब इनका इस फर्म में कोई लेन-देन बाकी नहीं है, जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से उन्हे व सभी साझेदारों को है। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 07 मार्च, 2025 के अनुसार वर्तमान में अब इस फर्म में दो साझेदार 1. श्री अंशुमन गुप्ता 2. श्री नकुल राघव रहेंगे।

नकुल राघव,
साझेदार,
मेसर्स विद्युत एसोसिएटस,
पता- 9, बजरिया जीटी रोड़, आर्य गेस्ट हाउस,
जिला गाजियाबाद, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Shivam Screen Works पताः एच-33 सैक्टर-9 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, दिनांक 03 नवम्बर, 2023 को प्रांरभ की गयी थी जिसका पंजीकरण संख्या जी.बी.एन./0016581 है। श्री महावीर पुत्र श्री रामदल निवासी हाउस नंबर 51 गांव कनरसा कनारसी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश एंव श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री रामदल निवासी हाउस नंबर 61 गांव कनरसा कनारसी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश साझेदार थे, दोनो पार्टनरों के आपसी सहमति से दिनांक 02 मई 2026 को फर्म का विघटन/Dissolution कर दिया गया है तथा दिनांक 02 मई 2026 से फर्म का समस्त कारोबार स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दिनांक 02 मई 2026 के बाद उक्त फर्म के नाम से कोई लेन-देन नहीं किया जाएगा।

विजय पाल सिंह एंव महावीर,
पार्टनर,
पताः एच–33 सैक्टर–9 नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सूचित किया जाता है कि कीर्तिकुंज डेवलपर 3/20/188D नहरबान, अयोध्या जिसका रजिस्टर्ड पंजीकरण संख्या FAI/0020724 है। दिनांक 27 फरवरी, 2025 को पंजीकृत किया गया था। जिसमे 3 साझीदार थे, जिनके विवरण निम्नलिखित है–

श्रीमती अलका सिंघल पुत्री बृज नारायण तुलस्यान, निवासी- 6/2/87. सिंघल सदन राजेंद्र नगर कॉलोनी कोठा पारचा फैजाबाद। श्रीमती अंशिका सिंघल पुत्री जगदीश चमड़िया निवासी– 6/2/87 सिंघल सदन, राजेन्द्र नगर कॉलोनी कोठा पारचा फैजाबाद। श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र सुरेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी- 626 पुरानी सब्जी मंडी फैजाबाद मिलकर फर्म को संचालित कर रहे थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को श्री अभिषेक अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से निकल गये है। इनका फर्म से कोई लेन-देन शेष नहीं है। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से एक नये साझेदार श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल पुत्री सुरेद्र कुमार गुप्ता, निवासी- 626 पुरानी सब्जी मंडी, फैजाबाद फर्म में सम्मलित हुई।

वर्तमान में फर्म में कुल 3 साझेदार हैं श्रीमती अलका सिंघल, श्रीमती अंशिका सिंघल व श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल। उक्त सभी साझेदार संयुक्त रूप से M/s कीर्तिकुंज डेवलपर का संचालन कर रहे हैं।

श्रीमती अलका सिंघल
पताः– मेसर्स कीर्तिकुंज डेवलपर,
3/20/188D नहरबान, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आनिया सिद्दीकी पुत्री आसिफ सुलेमान सिद्दीकी है जो कि उसके आधार कार्ड में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्री का नाम आनिया सिद्दीकी से बदलकर हलीमा सिद्दीकी (Halima Siddiqui) रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को हलीमा सिद्दीकी (Halima Siddiqui) पुत्री आसिफ सुलेमान सिद्दीकी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सय्यद आयशा पत्नी आसिफ सुलेमान सिद्दीकी,
पता– मो0 सुलेमान एंड संस, एम ए समद,
इण्टर कॉलेज के पास बाजार रूस्तम खां,
भदोही सन्त रविदास नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स अर्जुन लाल फारवर्डिंग एजेन्सी, गोला रोड, जिला-लखीमपुर खीरी रजिस्ट्रेशन सं0–187112 का पंजीकरण दिनांक 20 मार्च, 2004 को कराया गया था जिसमें संशोधन 04 दिसम्बर, 2020 को कराया गया था, जिसमें अर्पित गुप्ता एवं श्रीमती रेनू गुप्ता साझीदार थे। उक्त फर्म के द्वितीय साझेदार श्रीमती रेनू गुप्ता दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गयी है तथा उनके स्थान पर निखिल कुमार बरनवाल पुत्र स्व० अर्जुन लाल बरनवाल निवासी- मो0-बहादुर नगर, जिला-लखीमपुर खीरी को दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से शामिल कर लिया गया है। उक्त फर्म के द्वितीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नही होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में अर्पित गुप्ता प्रथम एवं निखिल कुमार बरनवाल द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

अर्पित गुप्ता,
साझेदार,
मेसर्स अर्जुन लाल फारवर्डिंग एजेन्सी,
गोला रोड, जिला–लखीमपुर खीरी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स ग्लोब बिल्डकॉन, ग्राम-कबीरपुर, गोसाइगंज, लखनऊ 226501 रजि0 नं0-LUC/0017572 का पंजीकरण दिनांक 04 मार्च, 2024 को कराया गया था जिसमें आनन्द यादव प्रथम एवं मनीष कुमार द्वितीय साझीदार थे। उक्त फर्म के प्रथम साझीदार आनन्द यादव दिनांक 25 फरवरी, 2026 से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं, तथा भविष्य में इस फर्म से इनका कोई लेना-देना नही होगा एवं उनके स्थान पर कुलदीप कुमार को दिनांक 25 फरवरी, 2026 से शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में मनीष कुमार प्रथम एवं कुलदीप कुमार द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

मनीष कुमार,
साझेदार,
मेसर्स ग्लोब बिल्डकॉन,
ग्राम-कबीरपुर, गोसाइगंज, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० श्री नाथ जी शीतगृह, 65/1 विभव नगर फिरोजाबाद का पत्रावली संख्या-AG-8106 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक–01 अप्रैल, 2022 से श्री अरविन्द कुमार यादव, श्रीमती उमा यादव, श्री नितिन यादव तथा अंकित यादव पार्टनर थे। जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2026 से श्री नितिन यादव पुत्र श्री अरविन्द कुमार यादव तथा श्री अंकित यादव पुत्र श्री अरविन्द कुमार यादव निवासीगण-65/1 विभव नगर फिरोजाबाद फर्म से अलग हो गये है। व संशोधित भागीदारी डीड दि० 01 अप्रैल 2026 के अनुसार श्री अरविन्द कुमार यादव तथा श्रीमती उमा यादव कर्ता की हैसियत से रहेंगे। संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब दो ही पार्टनर हिस्सेदार रहेंगे।

अरविन्द कुमार यादव,
साझेदार
मे० श्री नाथ जी शीतगृह, 65/1,
विभव नगर, फिरोजाबाद।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० ओम सांई कोल्ड स्टोरेज, खाता नं0–89 ग्राम गंगथला पोस्ट रामगढी, परगना व तहसील खुर्जा जिला-बुलन्दशहर में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह है उक्त फर्म के प्रथम साझेदार श्री शिव प्रकाश सिंह पुत्र श्री सूर्यपाल सिंह निवासी–754 सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर की दिनांक–03 फरवरी, 2026 को मृत्यु हो गई है तथा दिनांक–03 फरवरी, 2026 से फर्म की साझीदार श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री शिव प्रकाश सिंह निवासी-754 सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर उक्त फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गयी है। अब फर्म में श्री सुमित कुमार सिंह तथा श्रीमती दीपाली सिंह भागीदार हो गये है।

सुमित कुमार सिंह,
भागीदार
मे० ओम सांई कोल्ड स्टोरेज,
खाता नं0-89 ग्राम गंगथला पोस्ट रामगढी,
परगना व तहसील खुर्जा जिला-बुलन्दशहर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जे० पी० कन्स्ट्रक्शन, बी-26 द्वारिका रेजीडेन्सी सिरौली रोड, रौहता, आगरा परिवर्तित पता- 83. डिफेन्स स्टेट फेस-1 आगरा जिसकी पत्रावली संख्या एजी-8855 है को दिनांक–01 जुलाई, 2021 से श्री मनीष बंसल, श्री दुर्गेश कुमार बंसल, श्री विकास बंसल, तथा श्री गौरव बंसल भागीदार द्वारा संचालित थी। फर्म की संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार फर्म के तृतीय पक्ष साझेदार श्री विकास बंसल पुत्र श्री मुकेश कुमार बंसल निवासी-89 जयपुर हाउस, आगरा अपनी स्वेछा से पृथक हो गये है तथा श्री नरेश कुमार बंसल पुत्र श्री रामजी लाल बंसल निवासी-एम-702 सैलिब्रिटी मैडोज, सैक्टर-1, सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ को फर्म में शामिल किया गया है संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार फर्म में श्री मनीष बंसल, श्री दुर्गेश कुमार बंसल, श्री गौरव बंसल तथा श्री नरेश कुमार बंसल भागीदार रह गये है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नही है।

मनीष बंसल,
भागीदार,
मेसर्स जे० पी० कन्स्ट्रक्शन,
बी-26 द्वारिका रेजीडेन्सी सिरौली रोड, रौहता,
आगरा परिवर्तित पता- 83. डिफेन्स स्टेट,
फेस-1 आगरा।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स आकाश रोड लाईन माल गोदाम, जिला-सीतापुर रजि0 सं0-204185 दिनांक 16 मार्च, 2018 को लखनऊ से पंजीकृत है, जिसमें राजेश कुमार कश्यप को प्रथम एवं श्रीमती शशि कश्यप द्वितीय साझीदार थे, दिनांक 13 अप्रैल 2026 को विनय पुरी तृतीय, चंदन वर्मा चतुर्थ रवि मिश्रा पांचवे एवं श्रीमती मंजू मिश्रा छठे साझेदार के रूप में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में राजेश कुमार कश्यप प्रथम, श्रीमती शशि कश्यप द्वितीय विनय पुरी तृतीय, चंदन वर्मा चतुर्थ रवि मिश्रा पांचवे एवं श्रीमती मंजू मिश्रा को छठे, साझेदार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

राजेश कुमार कश्यप,
साझेदार,
मेसर्स आकाश रोड लाईन माल गोदाम,
जिला-सीतापुर।

पी0एस0यू0पी0–8 हिन्दी गजट–भाग 8–2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।